आजीविका सुरक्षा
पर
राज्य सम्मेलन
राज्य की नीतियां, निजी कार्यवाहियां और नागर समाज की सहभागिता
28–31 अगस्त 2005

<u>कार्यवाही का विवरण</u>
28 अगस्त 2005

सत्र 1– उद्‌घाटन
कार्यषाला का उद्‌घाटन पैक्स कार्यक्रम से जुड़े सिहोर जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष अनीता मंडोरिया, ग्राम पंचायत जमुनिया तालाब की सरपंच श्रीमती गीता राठौर तथा बिजौरा पंचायत की सरपंच मंजू पाठक ने दीप प्रज्जवलन करके किया। इस सत्र में पैक्स की कार्यक्रम अधिकारी सुश्री किरण शर्मा, हिन्दुस्तान टाइम्स के स्थानीय सम्पादक श्री असकरी जैदी तथा समर्थन, भोपाल के निदेषक डा. योगेष कुमार ने अपनी भागीदारी से बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद की ।

पृष्ठभूमि
श्रीमती किरण शर्मा ने कार्यषाला की पृष्ठभूमि स्पष्ट करते हुए बताया कि पैक्स कार्यक्रम पूरे देष के 6 राज्यों के 108 जिलों में 400 से अधिक संस्थाओं के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। देष में यह अपने तरह का अकेला कार्यक्रम है, जिसे इतने बड़े पैमाने पर गरीबों के हित में गैर सरकारी प्रयासों से चलाया जा रहा है। हम अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ कार्यक्रम से जुड़े अनुभवों तथा आगे की रणनीति को लेकर समय–समय पर चर्चा करते रहते है। पिछले समय में अनेक च्मतस्मंतदपदह ॅवतोीवच इस दिषा में किए गए। हमने इस बार की यह कार्यषाला आजीविका कार्यषाला के रूप में करने की सोची, ताकि हम जो कुछ भी क्षेत्र में कर रहे हैं, उसके अनुभवों को सरकार व समाज के सामने रखा जाए तथा इस बारें में विषय–विषेषज्ञों की राय भी ली जाए।

पैक्स के बारे में सुश्री शर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम मूलतः समाज के सबसे गरीब लोगों की मदद के लिए देष के निर्धनतम 108 जिलों में चलाया जा रहा है । इस कार्यक्रम को ब्रिटिश सरकार के Department of international Development (DFID) का सहयोग है। यह 7 वर्ष का कार्यक्रम है, जिसमें से 4 वर्ष निकल चुके है। भारत में इस कार्यक्रम को 6 राज्यों में चलाया जा रहा है। इसमें करीब 400 स्वयंसेवी संस्थाओं का सीधा जुड़ाव है। पैक्स कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर Development Alternatives (D.A.) तथा PriceWaterhouseCoopers संचालित कर रही हैं, जिन्हें 80 सलाहकारों का सहयोग समय–समय पर मिलता रहता है। अपनी सहयोगी संस्थाओं की मदद से पैक्स कार्यक्रम आज इस मुकाम पर है, कि हर कोई इससे जुड़ना चाहता है।

उन्होंने प्रतिभागियों को जानकारी दी कि इस कार्यक्रम से जुड़े सभी 6 राज्यों की सहयोगी संस्थाओं के साथियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 24 से 26 अक्टूबर 2005 को आयोजित किया जा रहा है ताकि अपने अनुभवों को हम राष्ट्रीय स्तर पर बॉट सकें और नीतियों में बदलाव के लिए सरकार

पर दबाव बना सकें। उन्होने यह अपील भी की कि सभी सहयोगी संस्थाएं अपने–अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े मुद्दों को इस राष्ट्रीय सम्मेलन में उठाने की तैयारी करें। इस बारे में राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मुद्दों को चिन्हित किया गया है । e/;izns'k व छत्तीसगढ़ के साथियों के लिए विकलांगता का विषय तय किया गया है। हम इस पर अपनी तैयारी करें और इस बारें में एक परचा राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत करें।

सुश्री किरण शर्मा ने पैक्स कार्यक्रम के चार सालों के अनुभवों के बारे में कहा कि इन वर्षो में हमने जो कुछ भी सीखा उसमें महत्वपूर्ण यह है कि l'kfDrdj.k के लिए केवल क्षमता का विकास करना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए आजीविका से जुड़े मुद्दों को भी हमें इसमें शामिल करने की जरुरत है। हमें आजीविका के बारे में काम करते हुए एक दो नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में उदाहरण खड़े करने की जरूरत है। हम सभी 108 जिलों के कार्यक्रम में यह बात लाना चाहते हैं। इस बारें में आप भी अभी से सोचें और अपनी योजना, प्रयोगों व प्रयासों के बारे में बात करना शुरू कर दें, ताकि हम इसके लिए बेहतर योजना बना सके। उन्होंने संस्थाओं से कहा कि हम यह भी सोचें की कि अभी जो रोजगार गारन्टी विधेयक पारित हुआ है, उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है। लोगों के सषक्तिकरण के अपने काम में सूचना के अधिकार कानून का बेहतर उपयोग करने के बारे में भी हमें पहल करनी चाहिए।

कार्यषाला की रूपरेखा

सुश्री रानू भेगल ने कार्यषाला की रूपरेखा के बारें में बताया कि पैक्स कार्यक्रम की सुविधा के लिए इस क्षेत्र को चार हिस्सों में बांटा गया है– बुन्देलखण्ड, महाकौषल, मध्यक्षेत्र और छत्तीसगढ़। इन चारों क्षेत्रों की क्षेत्रीय सहयोगी संस्थाओं की बैठक हुई, जिसमें जल, जंगल और जमीन के बारं में चर्चा की गई। इसमें यह बात निकली गई कि इन प्राकृतिक संसाधनों पर लोगों का हक और उत्पादकता लगातार कम होती जा रही है। इसके नीचे लिखे कारण पाये गये –

- हुनर / कौषल
- असमान मजदूरी / कम मजदूरी
- पलायन
- वित्तीय पोषण का अभाव
- सूचना के अधिकार का अभाव

सुश्री भोगल ने कहा कि उक्त सभी मुद्दों पर चारों क्षेत्रों की कार्यषाला में गहन चर्चा की गयी। इसका प्रतिवेदन भी तैयार किया गया। इस कार्यषाला के दौरान हम सभी को इन मुद्दों पर आगे बात करनी है। इस कार्याषला में इन विषयों पर लम्बे समय से काम करने वाले साथियों को भी बुलाया गया है ताकि वे हमारे अनुभवों को सुनें और अपने अनुभवों से हमें लाभान्वित करें। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि पैक्स कार्यक्रम सितम्बर 2007 में समाप्त हो जाएगा पर ये मुद्दे लम्बे समय तक चलने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या हम कार्यक्रम समाप्ति के बाद भी इन मुद्दों पर काम करने की परिस्थिति के बारे में विचार कर सकते है या नहीं? यदि हॉ तो अभी से क्यों नहीं इस बारें में विचार किया जाए।

उद्घाटन सत्र की अतिथि जमुनिया तालाब की सरपंच श्रीमती गीता राठौर ने कहा कि स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि यदि अच्छा काम करती हैं तो जनता उन्हें दुबारा मौका देती है। मेरे लगातार तीसरी बार सरपंच चुने जाने को मैं इसी बात का प्रमाण मानती हूँ। हमारी पंचायत आज आदर्श पंचायत है। समर्थन संस्था ने हमारी पंचायत को मजबूत करने में मदद की, मुझे सहयोग किया जिससे मैं अनेक काम कर पायी। सीहोर में महिलाओं के समूह बने है। कई समूह ऑगनवाड़ी को दलिया आपूर्ति करते हैं, जिससे समूह सदस्यों को रोजगार मिला है। लडकियां स्कूल जाती हैं। छात्राओं के लिए होस्टल खोला है। मध्याह्न भोजन की योजना से स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी है। इस प्रकार के हमारे प्रयासों से पंचायत में किए गए अच्छे काम से नाम भी होता है।

बिजौरा पंचायत की सरपंच मंजू पाठक ने कहा कि हमने अपने गॉव में पंचायत के माध्यम से कई काम करवाए। स्कूल की बाउण्डरी बनवाई। नियत समय पर षिक्षकों के स्कूल नहीं आने पर उनकी षिकायत की और स्कूल में ताला लगा दिया। इस पर जॉच हुई और षिक्षक को समय का पालन करने के लिए निर्देषित किया गया। इस प्रकार हमारी पंचायत में अच्छे काम का प्रयास किया गया। हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत का विकास हो।

सीहोर की जिला पंचायत अध्यक्ष और कार्यक्रम की अतिथि श्रीमती अनीता मंडलोई ने कहा कि जहॉ महिलाएं अपने दायरे से निकल कर बाहर आती हैं, वहीं हमें सामाजिक अंतर महिला पुरुष में दिखने लगता है। कुछ सरकारी अधिकारी महिला जन प्रतिनिधि के बारे में यह मान कर चलते हैं कि हमें कुछ नहीं आता। मेंरे साथ भी ऐसा ही हुआ। शुरू के तीन चार महीने मैं कुछ नहीं बोली, बल्कि प्रक्रिया समझती रही। उसके बाद मैंने सबकी बैठक ली और सबको यह एहसास कराया कि काम कैसे करना है। अभी भी पंचायतों के माहौल को महिलाओं के अनुकूल बनाने की जरूरत है। प्रषासन अकादमी में हुई महिला सषक्तिकरण की एक कार्यषाला में मैनें भागीदारी की, जहॉ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। महिलाओं के लिए इस प्रकार की और भी कार्यषालाएं आयोजित करने की जरूरत है, जहॉ भागीदारी करके वे अपने को ज्यादा सषक्त बन सकती हैं। हम बहुत कुछ करना चाहती हैं पर इसके लिए माहौल बनाना होगा। पंचायत में रुके काम को आगे बढ़ाने की नीति पर बात हो, ताकि पंचायत के सभी कामों को एक साथ आगे बढ़ाया जा सके।

इस सत्र के अतिथि वक्ता हिन्दुस्तान टाइम्स के स्थानीय सम्पादक श्री असकरी जैदी ने संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कहा कि यदि मीडिया को भी इन मुद्दों पर संवेदित कर सकें तो आपके प्रयास ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावी हो सकते हैं उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार, के, चाहे वह केन्द्र की हो या राज्य, बजट का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण विकास के लिए होता है। सरकार का तर्क यही है कि बड़ी जनसंख्या गॉव में रहती है और उनके बीच गरीबी ज्यादा होती है। पर देखा जाए तो जितना पैसा उनके विकास के लिए दिया जाता है उसका एक तिहाई भी उनके बीच नहीं पहुॅचता है। प्रषासन से जुड़े लोग कहते हैं कि गॉव के गरीबों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। पर देखा यही गया है कि यदि इतना पैसा उनके लिए लगा होता तो गॉव की तस्वीर ही कुछ अलग होती। यहॉ मीडिया की भूमिका है। हलांकि एन. जी. ओ. के लोग भी यहॉ काम करते हैं पर उनके काम में समन्वयन व फोकस की कमी देखी जा सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि लक्ष्य समूह के लोगों की जरूरतों को समझ कर ही अपने कार्यक्रम की डिजाइन तय करें। एन. जी. ओ. सरकारी मषीनरी की

मदद के बगैर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसमें यदि संस्थाओं का मीडिया के साथ संवाद अच्छा हो तो प्रषासकीय ढांचों को संवेदित करने में काफी हद तक मदद मिल सकती है।

श्री जैदी ने कहा कि संस्थाएं व मीडिया मिल कर गॉव के विकास कार्यक्रमों में ''वॉच डॉग '' की तरह काम करें। मीडिया के ज्यादातर लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के नहीं होते। इसमें स्वयं सेवी संस्थाओं की यह जिम्मेदारी है कि वह गॉव की स्थिति के बारे में मीडिया को बताएं। मीडिया हर जगह अपना रिपोर्टर नहीं नियुक्त कर सकता इसलिए इस प्रकार का समन्वय उपयोगी हो सकता है। संस्थाएं अधिारियों तक अपनी बात पहुॅचाने तथा दबाव बनाने में मीडिया के साथ अपने संवाद का उपयोग कर सकती है। एक लोकतांत्रिक समाज में इस प्रकार हम सभी मिलकर सरकार पर दबाव बना सकते है।

मीडिया की संस्थाओं की जरूरत के बारे में उनका कहना था कि सरकार की विकास संबंधी जो योजना या विधेयक आते है, उनके कियान्वयन की स्थिति के बारे में यदि मीडिया को जानना हो, तो वास्तविक हालत का पता लगाने के लिये उसके पास कोई स्रोत नहीं होता। रिपोर्टर इसके लिए आसान रास्ता यह निकालता है कि वह संबंधित विभाग के मंत्री या अधिकारी से जानकारी लेने की कोषिष करता है। ऐसे में संस्थाओं की बड़ी भूमिका यह है कि वह मीडिया के साथ तालमेल बनाकर उन्हें जानकारी दे सकती है। यह तालमेल स्थानीय स्तर पर संवाददाताओं के साथ तथा प्रकाषन केन्द्रों पर सम्पादकीय विभाग के लोगों के साथ जरूरी होता है। इस बारे में हम कोई पद्वति या व्यवस्था के बारे में सोच सकते हैं जिससे यह तालमेल बन सके। इस प्रकार से दोनों मिलकर सरकार पर एक दबाव की स्थिति निर्मित कर सकते हैं जिससे गरीबों के हम में आजीविका के मुद्दें पर हम कुछ कर पाएं।

उद्घाटन सत्र के दौरान सभी प्रतिभागियों का परिचय हुआ। सत्र के अंत में आजीविका पर तैयार किए गए पोस्टर्स, पुस्तिका और फोल्डर का विमोचन किया गया।

सत्र 2– रीजनल कार्यशालाओं की प्रस्तुति

बुन्देलखण्ड रीजन–

सबसे पहले बुन्देलखण्ड रीजन की प्रस्तुति सोम शर्मा ने की। उन्होने बताया कि बुन्देलखण्ड रीजन के पैक्स पार्टनर्स की बैठक छतरपुर में 1 और 2 अगस्त को हुई। इस रीजन में सागर, पन्ना, टीकमगढ़ और छतरपुर जिले आते हैं।

अपने रीजन की जानकारी देते हुए सोम शर्मा ने बताया कि बुन्देलखण्ड के गांवों में अभी भी सामंतशाही जारी है। कुछ लोग हैं जो गांव पर नियंत्रण रखते हैं। कुछ खास जातियों के पास जमींदारियां हैं और इनका ही आर्थिक और राजनीतिक वर्चस्व है। वे ही जल संसाधनों पर और जल समितियों पर नियंत्रण रखते हैं। मजदूरी पर भी इसी वर्ग का नियंत्रण है और बंधुआ मजदूरी की प्रथा अभी भी बरकरार है।

जमीन के बारे में बताया गया कि सामुदायिक दृष्टि से देखें तो गांवों में छोटी जोतें ज्यादा हैं, ज्यादातर जमीनें गिरवी रखी हुई हैं। रासायनिक खाद का ज्यादा उपयोग हो रहा है। इलाके में पेड़

पौधे कम हैं और चरनोई की जमीन पर ताकतवर वर्ग ने अतिक्रमण कर रखा है। सम्पत्ति पर महिलाओं का संयुक्त स्वामित्व नहीं है। सरकारी नीतियों और कार्यक्रम पर नजर डालें तो पता चलता है कि वहां बन्दोबस्त कार्यक्रम स्थगित हो गया है। खेती की मिट्टी के परीक्षण का कोई माकूल इन्तजाम नहीं है और बीजों में बदलाव भी नहीं किये जा रहे हैं।। करीब 35 फीसदी जमीन सिंचित है पर जमीन का कटाव ज्यादा है और पैदावार कम है।

जहां तक जल का सवाल है, सामुदायिक स्तर पर जल का उपयोग ठीक से नहीं किया जा रहा है और पर पानी पर ज्यादातर जमींदारों का नियंत्रण है। जल उपभोक्ता समितियां प्रभावी नहीं हैं। जल के संरक्षण के लिये सरकारी कोशिशें हुई हैं पर वे नाकाफी साबित हुई हैं। जरूरत अब यह है कि जल के संग्रहण की संभावनाएं तलाशी जायें और तालाबों को फिर से जीवित किया जाये। भूजल के अनियंत्रित दोहन को रोकना भी जरूरी है। पानी के वितरण में समानता नहीं है।

जंगल के बारे में बताया गया कि संयुक्त वन प्रबंधन के लिये जागृति कम है। आदिवासियों पर वन अधिनियम के उल्लंघन के मामले हैं। वनोपज तो है पर उस पर बिचौलियों का नियंत्रण होने से आदिवासियों को फायदा नहीं होता। राष्ट्रीय उ़द्यान से विस्थापन के कारण भी समस्या पैदा हुई है और वन्यप्राणियों द्वारा खेतों को नुकसान भी पहुचता हैं। सरकार का जहां तक सवाल है, संयुक्त वन प्रबंधन के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है। इन हालात के कारण आदिवासियों की आजीविका पर विपरीत प्रभाव पडा है और आदिवासी भी जंगल से दूर हो रहे हैं।

जानवर के बारे में सोम शर्मा ने बताया कि बुन्देलखण्ड रीजन की आबादी में करीब 20–25 प्रतिशत लोग पशुपालन करते हैं। ये खास जातियों के होते हैं और खुले में मवेशियों की चराई कराते हैं। सरकार नें मिल्क रूट के बारे में नहीं सोचा है और बूचड़खाने भी बन्द हो गये हैं, जिनसे अनुपयोगी मवेशियों का भार बरकरार है। अच्छी नस्ल की मवेशियों का उपयोग होने और उत्पादों में वैल्यू एडीशन से स्थिति में सुधार हो सकता है।

मानव संसाधन की चर्चा करते हुए बताया गया कि गांवों में खेती में कुछ रोज ही रोजगार मिलता है। पलायन, खदान में यौन शोषण, बाल श्रम के कारण और मजदूर संगठित न होने के कारण स्थिति चिंतनीय है। सरकार द्वारा चलाये जा रहे ''काम के बदले अनाज कार्यक्रम'' में पूरी मजदूरी नहीं दी जाती। मजदूर कर्ज में डूबे हुए हैं। कारीगरों का जहां तक प्रश्न है वे जातिगत आधार पर काम करते हैं। उपभोक्ता की रुचि बदलने से और बाजार की प्रतियोगिता के कारण इनके धन्धे खत्म से हो गये हैं।

वित्तीय संसाधन की स्थिति यह है कि मजदूर और किसान साहूकारां और व्यापारियों से अग्रिम ले लेते हैं और फिर अपने उत्पाद कम कीमत में उन्हें बेचने के लिये मजबूर रहते हैं। बैंक से कर्ज सम्पन्न लोग लेते हैं। गरीबों को मुश्किल से कर्ज मिलता SGSY, KVIC, DPIP, PMRY जैसी सरकारी योजनाएं तो हैं पर इनका पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल पाता, कुछ तो जानकारी की कमी के कारण और कुछ भ्रष्टाचार के कारण।

चर्चा के बाद महसूस किया गया कि हालात बदलने के लिये राजनीतिक और सामाजिक सोच बदलना होगा। पर यह जल्दी नहीं होने वाला है, इसके लिये लोगों को अपने अधिकारों के लिये लड़ना होगा।

महाकोशल रीजन–

महाकोशल रीजन की प्रस्तुति सोपान के श्री अविनाश झाड़े ने की। महाकोशल रीजन में मण्डला, सिवनी, बालाघाट, बैतूल और डिण्डोरी जिले आते हैं। महाकोशल रीजन के अन्तर्गत जो इलाका है उसमें 45 प्रतिशत भूभाग पर वन, मंडला व डिंडोरी 2 संपूर्ण जिले पांचवी अनूसूची में, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा,बैतूल आंशिक तौर पर पांचवी अनूसूची में हैं। 80 प्रतिशत परिवारों की खेती पर निर्भरता है। ज्यादातर खेती वर्षा आधारित और एक फसलीय होने के कारण कम उत्पादन होता है। औसत जमीन मालिकी .5 से 1 हेक्टेयर तक है। लोगों की वनों पर अधिक निर्भरता है एवं लघु वनोपजों की उपयुक्त कीमत न मिलना वे लम्बे समय तक कर्जदार बने रहते हैं। पशुधन से पारिवारिक आय में विशेष योगदान नही मिलता। मशीन आधारित खेती के कारण रोजगार अवसरों की कमी हो गयी है।

वन संरक्षण कानूनों के कारण वनों तक लोगों की पहुंच कम हो गयी है। अराष्ट्रीयकृत वनोपजों का समर्थन मूल्य नही मिलता और लघु वनोपजों का बाजार ठेकेदारों के नियंत्रण में है। प्राथमिक साख समितियों व वन सुरक्षा समितियों के सक्रिय न होने से भी मुश्किलें बढ़ी हैं। वनों के अंधाधुंध दोहन से वनोपजों के उत्पादन में गिरावट भी आयी है। सार्वजनिक वितरणप्रणाली लोकोन्मुखी नही है और गैरकृषि आधारित आजीविका के अवसर भी सीमित हैं। सहकारी बैंक व सोसाईटी की भारी कर्जदारी लोगों पर है।

अनुभव से यह लगा है कि भू जल संरक्षण गतिविधियों से उत्पादन एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि हो सकती है और सर्वेक्षण व अध्ययन से आदिवासी भू अधिकारों पर समझ एवं जागरूकता बढ़ायी जा सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं जेंडर जैसे विषयों पर ज्यादा काम करने की जरूरत है।

हालात बदलने के लिये लोगों के कौशल का विकास किया जा सकता है। खेती से संबंद्ध अन्य आजिविकाओं एवं पशुपालन तथा मत्स्य पालन पर जोर दिया जा सकता है। भूमि हक एवं लघुवनोपजों के उचित मूल्य के लिये प्रयास किये जा सकते हैं। नामांतरण व बटवारा की समस्याओं के निदान के लिये ग्रामसभा के जरिये पटवारी पर नियंत्रण रखा जा सकता है। 1980 के पहले वनभूमि पर काबिज पात्र परिवारों को पट्टा दिलाया जा सकता है। इसके अलावा आदिवासियों की कर्जदारी से संबंधित विभिन्न समस्याओं के लिये व्यवस्थित पैरवी की जा सकती है।

मानव–संसाधन का जहां तक संबंध है, इस इलाके में ग्रामीणों में कौशल का अभाव है और उनके लिये रोजगार के सीमित अवसर हैं। स्वास्थ्य स्तर अच्छा नही है। पलायन के कारण निजी संसाधनों की दुर्दशा हो जाती है और बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती है। पलायन में गयी महिलाओं का यौन शोषण भी होता है। शिक्षित युवाओं के लिये व्यक्तिगत विकास के अवसर नही हैं और पारंपरिक व्यवसाय लुप्त हो रहे हैं। सरकार की आजीविका संबंधी और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव है। रोजगार मूलक कामों में भ्रष्टाचार हैं जन प्रतिनिधि, और ग्राम पंचायतें लोगों के विकास के प्रति उदासीन हैं। जो असंगठित मजदूर हैं उनमें एकता का अभाव है। साल भर रोजगार न मिलने के कारण लोग पलायन पर विवश हैं।

मानव संसाधन संबधित हालात बदलने के लिये बालश्रम की रोकथाम करना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना जरूरी है। मशीन आधारित खेती को निरुत्साहित किया जा सकता है। माताओं एवं बच्चों के पोषण स्तर सुधार कर मृत्युदर कम की जा सकती है। इसके अलावा शाला पाठ्यक्रम में रोजगार से संबंधित शिक्षा शामिल कराने से फायदा हो सकता है।

आजीविका के संदर्भ में वित्त पोषण के बारे में समस्याएं भी सामने आती हैं। महिलाओं के नाम संपत्ति नही होने के कारण उन्हें ऋण नहीं मिलता और उनके विकास के अवसर सीमित हो रहे हैं। नामांतरण व बंटवारे में कठिनाई के कारण भूमि के आधार पर ऋण नहीं लिया जा सकता। साथ ही 1980 पूर्व वनभूमि पर काविज पात्र परिवारों को पट्टा नही मिलने के कारण बैंक से ऋण नही मिलता। प्राथमिक साख समितियों के सक्रिय न होने के कारण ट्रायफेड योजना से समन्वय नही हो पाता और वनोपज खरीद हेतु ऋण भी नही मिलता।

महसूस किया गया कि इन समस्याओं के हल के लिये ग्रामसभा व पंचायत प्रतिनिधियों का सशक्तिकरण होना चाहिये। हितग्रहियों की पहचान ठीक से होना चाहिये और आदिवासियों को ऋण देने वाले साहूकारों पर नियंत्रण होना चाहिये। प्राकृतिक संसाधनों का पारंपरिक तरीके से प्रबंधन करने और लघुवनोपजों पर समुदाय का नियंत्रण होने से भी कठिनाई कम हो सकती है। ैभ्ळे के लिये बाजार ढूढ़ने की और उनके फेडरेशन बनाने की जरूरत है। सूचना के अधिकार पर जागरूकता होना और विकास योजनाओं की जानकारी होना भी जरूरी है।

प्रस्तुतिकरण के बाद चर्चा हुई। इसमें बताया गया कि आजीविका की समस्या के प्रतिं जनप्रतिनिधि उदासीन हैं। जंगल तो ज्यादा हैं पर आजीविका के लिये खेती पर जोर इसलिये है कि जंगल से आजीविका कम मिलती है।

प्रतिभागियों की राय थी कि खेती पर ही निर्भर होना ठीक है क्योंकि वनोपजों की बिक्री का इन्तजाम करना कठिन है। यह भी महसूस किया गया कि हम उत्पादन, बिक्री आदि काम देकर SHGs पर ज्यादा बोझ डाल देते हैं। यह भी पूछा गया कि सिंचाई क्षेत्र कितना है और वाटर सेक्टर की क्या स्थिति है और उसमें क्या संभावनाएं हैं। यह भी सुझाव दिया गया कि जिसकी आजीविका के संसाधन छीने जा रहे हैं, उसकी सोच क्या है यह हमें जानना चाहिये।

मध्यक्षेत्र रीजन–

मध्य–मध्यप्रदेश रीजन की कार्यशाला का प्रस्तुतिकरण करते हुए के एस एस के श्री हलके भाई सेन ने बाया कि यह कार्यशाला भोपाल में 31 जुलाई और 1 अगस्त 2005 को हुई। इसमें कृषक सहयोग संगठन, रायसेन, समर्थन, सीहोर,, आरम्भ, भोपाल, आशा निकेतन कल्याण केंद्र, भोपाल, और आशाग्राम, बड़वानी के साथियों ने भाग लिया। समावेश भोपाल और पैक्स भोपाल के प्रतिनिधि भी थे। इस कार्यशाला में प्राकृतिक संसाधनों, रोजगार, मज़दूरी, पलायन आजीविका के लिए वित्त व्यवस्था और आजीविका सुरक्षा के संदर्भ में सूचना का अधिकार पर चर्चा हुई। पूरी चर्चा में जो बिन्दु उभरे वे इस प्रकार हैं–

बैंक द्वारा डिफाल्टर घोषित किए गए लोगों को लेकर नए समूह बनाने से बैंक समूह को कर्ज नहीं देते। जबकि होना यह चाहिये कि समूहों को स्वतंत्र इकाई मानकर बैंक द्वारा कर्ज दिया जाना चाहिये। इसके अलावा बैंक दूर होने से महिला समूहों को वहां जाकर खाते खुलवाना संभव नहीं होता। यदि बैंक वाले गांव में ही आ जायें तो यह कठिनाई दूर हो सकती है।

बीडी श्रमिकों को बोनस आदि के जो फायदे मिलना चाहिए वे सबको नहीं मिल पा रहे। सट्टेदार जिन लोगों के नाम अपनी सूची में दर्ज करता है उन्हें बीड़ी श्रमिक माना जाता है और स्थिति यह है कि सट्टेदार अपनी मर्जी से नाम दर्ज करता है। असली श्रमिकों की जगह किसी और के नाम हैं। माहिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है।

आजीविका के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा को भी देखा जाना चाहिए और पी. डी. एस. में मिल रहे खराब सामान के बारे में कुछ कदम उठाना चाहिये। मध्यान्ह भोजन के लिए ज़रूरी पैसा सरपंचों तक नहीं पहुँच पा रहा है। आजीविका के मुद्दे पर काम करते हुए, वन जल और भूमि के संदर्भ में नियमों की जानकारी होना ज़रूरी है।

वन विकास समितियाँ में पेड लगाना, उसकी देखभाल करना सबकी भागीदारी से होता है पर पैसे का खाता नाकेदार के पास होता है। पैसे के खर्च के हिसाब में समुदाय को विश्वास में नहीं लिया जाता। समितियों में लोगों की भागीदारी तो है लेकिन फायदा उन्हें नहीं मिलता। लघु वनोपजों के लिये ग्राम पंचायत को डी. एफ. ओ. आसानी से पास नहीं देता।

सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुँच प्रहा है और असरदार लोग ही योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा सरकारी विभागों से और पंचायतों से जानकारी नहीं मिलती। सूचना के अधिकार के नियमों की पूरी जानकारी नहीं है।

भविष्य के लिये जो काम तय किये गये उनके बारे में बताते हुए श्री सेन ने जानकारी दी कि ऐसा महसूस किया गया कि जिन क्षेत्रों में काम किया जा रहा है उनके सामाजिक पक्ष के साथ कानूनी पहलुओं को भी समझना/जानना ज़रूरी है। साथियों को चाहिये कि वे आजीविका से जुडे कार्यों के बारे में पहले अपनी समझ पक्की कर लें, उसके सारे पहलुओं को जान लें फिर गाँव में काम शुरू करें। सूचना के अधिकार को समझें और उसके बारे में जनसाधारण को जानकारी दें। लोगों के बीच उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर काम करना, सहभागिता से काम करें। इस बात पर जोर दिया गया कि गाँव में पानी पेड़ और जमीन पर वहाँ रहने वालों का अधिकार है, इस हक को ग्रामसभा के माध्यम से दर्ज करवाएं। इसके अलावा राजस्व और वन विभाग की आपसी खींचतान में लोगों को होने वाली दिक्कतों से लोगों को आगाह करें और विभिन्न सरकारी विभागों की योजनाओं की जानकारी लेकर उनका लाभ लें।

सभी संस्थाओं ने अपनी भावी कार्ययोजना की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। कृषि सहयोग संगठन ने बताया कि वे कम लागत में नर्सरी बनाकर रतनजोत की खेती करेंगे। इसके अलावा मसाला फसलें और औषधीय फसलें भी लेंगे। कृषि वानिकी के अन्तर्गत आंवला, आम, बेर, अनार, नीबू, अमरूद, पपीता की खेती करेंगे। फूलों की खेती करेंगें। पड़त भूमि पर रतनजोत, करंज, नीम और बांस लगायेंगे। यह काम ख्मरिया, गोरवी और कोठीखोह गांवों में करने का इरादा है।

आरम्भ, भोपाल ने जानकारी दी कि भूमिहीन किसानों के लिये हल्दी की पैदावार एक अच्छा विकल्प है। उन्हें लीज पर जमीन मिल सकती है। नहर का पानी उपलब्ध है। प्रक्रिया आसान है। यह औषधीय रूप में इस्तेमाल भी होती है। कॉस्मेटिक में भी इस्तेमाल होती है। बीज, प्रशिक्षण और मार्केटिंग में एम.एफ.पी. पार्क (बरखेडा पठानी), संजीवनी और कृषि विभाग से सहायता मिल सकती है।

आशाग्राम बड़वानी ने बताया कि उनका मिर्च पावडर का उद्योग लगाने का विचार है क्योंकि मिर्च की इस क्षेत्र में पैदावार बहुत है और खपत भी बहुत है। यह कम दाम में सालभर उपलब्ध है। पैकेटों में बेचेंगे।

समर्थन, सीहोर ने कहा कि इस क्षेत्र में डेयरी शुरू करने का इरादा है क्योंकि स्थानीय स्तर पर चारे की उपलब्धता के साथ स्थानीय ज्ञान भी हैं । लोगों के पास कुछ न कुछ ज़मीन भी उपलब्धत है। डी. आर. डी. ए., खादी, आदिम जाति कल्याण विभाग, बैंक से सहयोग लेंगे।

आशा निकेतन कल्याण केंद्र, भोपाल की योजना है कि वे शहद का प्लांट लगाना चाहते हैं क्योंकि यह बहुत मात्रा में मिलता है। इसके लिये वित्तीय मदद खादी ग्राम उद्योग, नाबार्ड, अन्य एजेंसियों से सहायता मिल सकती है। मार्केटिंग के लिये स्थानीय ब्रांड बनाकर विंध्यावैली से मिलकर काम करेंगे और स्थानीय रूप से खपत करेंगे।

इस प्रस्तुतिकरण पर अच्छी चर्चा हुई। सुझाव दिया गया कि हमें पैदावार बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिये। होर्टिकल्चर की बात की गयी गयी है पर यह नहीं बताया गया कि उसके विपणन के लिंकेज क्या हैं, विपणन की रणनीति क्या होगी। यह भी पूछा गया कि आजीविका को किस स्तर पर देखा जा रहा है– व्यक्ति, परिवार, गांव या ब्लाक स्तर पर। आजीविका के अलग–अलग स्रोत होते हैं– चारा, पलायन, खेती, तकनीक, बीज, खाद आदि। पलायन और महिलाओं की स्थिति पर चर्चा नहीं की गयी है।

योजना बनाते समय यह ध्यान रखना होगा कि सहकारी संस्थाओं से ज्यादा फायदा नहीं होता क्योंकि वे घाटे में चल रही हैं या निष्क्रिय हैं। होर्टिकल्चर में भी यह ध्यान रखना होगा कि सफेद मूसली के भाव एकदम कम हो गये हैं। ज्यादा पैदावार होने पर भाग गिर जाते हैं। श्री सेन ने बताया कि लोग अदरक, लहसुन पर जोखिम नहीं उठाना चाहते और वही करनाा चाहते हैं जिसमें वे पारंगत हैं।

छत्तीसगढ़ रीजन–

छत्तीसगढ़ रीजन की प्रस्तुति श्री एन एम पती वै ने की। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधनों के बारे मे बताया गया कि वहां खनिज और वन संसाधन बहुत हैं लेकिन 80 प्रतिशत परिवार अपनी आजीविका के लिये खेती पर निर्भर रहते हैं। कर्जदार होना, अनुपजाऊ और कम जमीन, बारिश पर निर्भर एक ही फसल के कारण लोग कर्जदार हो जाते हैं। खेती को छोड़कर कमाई का अन्य कोई साधन नहीं है। इस कारण लोग बाहर मजदूरी के लिये जाते हैं। मशीनी खेती के कारण भी मजदूरी के अवसर कम हो रहे हैं। घटिया नस्ल के मवेशी होने के कारण दूध कम होता है।

आदिवासी इलाकों में करीब–करीब सभी परिवार NTFP उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। वन विभाग के कड़े कानूनों के कारण और खास मौसमों में ही ये उत्पाद मिलने के कारण बहुत कठिनाई पैदा हो जाती है। जो भी कुछ वनों से हासिल होता है वह बिचौलिये और ठेकेदार सस्ती कीमत में खरीद लेते हैं। सरकारी सहकारी संस्थाएं या तो निष्क्रिय हैं या बेईमान अधिकारियों, राजनेताओं और ठेकेदारें की मिलीभगत के कारण बीमार हैं।

अनुभव से पता चला है कि जल संरक्षण के प्रयासों से लोगों को ज्यादा मजदूरी मिली है और वे अतिरिक्त फसल पैदा कर पाते हैं। भू संरक्षण, पम्प सेट और बीज बैंक, सब्जी उगाने से भी लोगों की आय बढ़ी है। वनों का उपयोग करने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिये कुछ संस्थाओं ने कुछ गतिविधियां शुरू की हैं, पर उनके टिकाऊ परिणाम सामने आने में समय लगेगा।

शिल्पियों, कारीगरों को सहयोग देने और कुटीर उद्योग को फिर से जीवित करने की जरूरत है। लोगों को संगठित करके उनके महासंघ बनाकर उनके अधिकारों के लिये आवाज उठायी जा सकती है। इससे

मानव पूंजी के बारे में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में साक्षरता की कमी के कारण आजीविका के अवसर कम हैं। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा और कला शिक्षा के लिये संस्थाओं की कमी है। औद्योगीकरण के कारण परंपरागत कारीगरों और शिल्पियों की चीजों के लिये बाजार नहीं है। फलतः ये मजदूरी करते हैं या पलायन करते हैं। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं गांवों में उपलब्ध नहीं हैं जिससे आजीविका पर कुप्रभाव होता है। 60 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हें और महिलाएं खून की कमी की शिकार हैं। खेती की उपज भी साहूकार की कृपा पर निर्भर होती है क्योंकि वह कर्ज के बदले दो तिहाई उपज ले लेता है। खदानों में भी मजदूरों का शोषण होता है। कारीगर अकुशल मजदूर हो रहा है क्योंकि उसकी चीजों की मांग भी नहीं

आजीविका के लिये धन की व्यवस्था के बारे में बताया गया कि साहूकारों से जरूरत के समय पैसा सुविधा से मिलने के कारण ग्रामीण जल्दी कर्ज में फंस जाते हैं। कर्ज का चक्र खत्म नहीं होता और लोगों की आजीविका पर विपरीत असर होता है। बैंकों के जो नियम, फार्म, प्रक्रिया है उससे भी लोग बैंक से कर्ज न लेकर महाजनों से कर्ज लेते हैं। महसूस किया जाता है कि गरीबों की आजीविका की सुरक्षा बेहतर बनाने के लिये कुछ कदम उठाना उपयोगी होगा–

- क्षमतावान हितग्राहियों की पहचान करके उनकी सूची बनायी जाये।
- कर्ज देने के लिये क्षेत्र के तरीके के बदले संकुल तरीकाअ अपनायी जाये।
- सभी जिलों में SHG बनाये जायें।
- सफल SHG बनाने के माडल तैयार करने में छळे उत्प्रेरक की भूमिका अदा करें।
- NGOs बैंकों, सरकारी विभागों से समूहों का संवाद सहज करें।
- सुचना के अधिकार का उपयोग किया जाये।

इस प्रस्तुतिकरण पर ज्यादा चर्चा नहीं हो पायी क्योंकि किरण को ऐसा लगा कि यह अकादमिक ज्यादा है और इसमें जमीनी अन्दाज कम है। किरण के इस कथन से एस के सिंग सहमत नहीं थे कि इस प्रस्तुति में बुनियादी बातें नहीं हैं।

29 अगस्त 2005

विषय– प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

<u>सत्र 1– भूमि, पानी और जंगल</u>

स्रोत व्यक्ति– 1. वेद आर्य, सृजन
2. विवेक शर्मा, कार्ड
3. अरुण जोशी, आसा

इस सत्र के सहजकर्ता थे आसा संस्था के श्री आशीष मण्डल। सृजन के वेद आर्य ने अपनी चर्चा पानी पर केन्द्रित रखते हुए कहा कि उनका अध्ययन ज्यादातर कनार्टक के बारे में हैं लेकिन वे अन्य स्थानों के बारे में बात करेंगे। युनिवर्सल डिक्लेरेशन आफ ह्यूमन राइट्स में पानी के अधिकार के उल्लेख की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि 20 वी सदी की शुरूआत की तुलना में आज 5 गुना

ज्यादा पानी सिंचाई में खर्च हो रहा है। वाशिंगटन की एक शोध संस्था के निष्कर्ष हैं कि सन 2025 में घरू पानी की जरूरतों में 70 फीसदी इजाफा होगा और इसका 90 फीसदी हिस्सा विकासशील देशों में खर्च होने वाला हैं साथ ही औद्योगिक मांग भी किसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में ज्यादा होने वाली है। आज दुनिया में 6 में से 1 व्यक्ति के पास पानी नहीं है और जो है भी, उसमें फ्लोराइड और आरसेनिक की समस्या है। हमारी सरकार का कहना है कि गांवों में 40 लिटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी मिलता है और शहरी इलाकों में 135 लिटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी मिलता है।

भारत में 6 करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में 90 फीसदी पानी खर्च होता है। देश में 2 करोड़ के करीब ट्यूब वैल हैं जो 200 घनकिलोमीटर भूजल निकालते हैं। इस भूजल को निकालने के लिये हमारे देश की 30 फीसदी बिजली खर्च होती है। हमारे यहां प्रति किलो गेहूं के लिये 2000 लिटर पानी लगता है जो बहुत ज्यादा है। पानी की बरबादी भी काफी है। नहरों की सिंचाई के इलाके मेंस एक तिहाई पानी बरबाद होता है।

उन्होंने बताया कि सृजन ने शोध कर्नाटक में की है जिसमें आजीविका, पानी और पानी–ऊर्जा के रिश्तों पर काम हुआ है। पाया गया है कि सिंचाई के लिये तो काफी पानी मिल जाता है लेकिन पीने के पानी की किल्लत हर जगह है। बिना किसी नियम के अनियंत्रित रूप से बोरवैल खोदे जा रहे हैं। हर कोई बोरवैल खोदना चाहता है। इससे बोर वैल असफल भी हो रहे हैं और किसान कर्ज में डूबता जा रहा है और आत्महत्या का रास्ता अपना रहा है।

समस्या के हल के लिये सिचाई के किफायती तरीके, जैसे स्प्रिंकलर काम में लाने होगे और जल संग्रह के पुराने ढांचों की मरम्मत कराके काम लायक बनाना होगा। ग्राम पंचायत को केन्द्र बनाकर पानी को आजीविका से जोड़ना होगा और पानी के उपयोग तथा आजीविका के नये तरीके अपनाने होंगे।

इस सत्र के दूसरे वक्ता कार्ड संस्था के श्री विवेक शर्मा थे। विवेक शर्मा ने कहा कि सिर्फ पानी के संरक्षण से बदलाव नहीं आयेगा, बल्कि इसके लिये पंच ज का याने जल, जमीन, जंगल, जानवर और जन पर काम करना होगा। भारत के मध्य भाग में देश के सबसे घटिया जानवर हैं पर बेहतरीन जंगल है और पानी काफी है। पर इनका प्रबंधन ठीक नहीं है।

उन्होंने बताया कि कार्ड संस्था का काम मध्यप्रदेश के पश्चिमी हिस्से में धार और झाबुआ जिले के आदिवासी इलाके में और पूर्व में मण्डला तथा डिण्डोरी जिलों के आदिवासी इलाके में है। पश्चिमी हिस्से में जमीन अच्छी नहीं है और जंगल भी नहीं हैं, इसलिये वहां आजीविका की समस्या ज्यादा जटिल है लेकिन पूर्वी हिस्से में जमीन भी ठीक है और जंगल भी काफी हैं, इसलिये वहां आजीविका की समस्या जटिल नहीं है। धार झाबुआ के इलाके में जब तक भूमि की उत्पादकता नहीं बढ़ाएंगे तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। भूमि की दर का जहां तक सवाल है, वह कितनी उपयोगी है, यही बात भूमि की दर तय करती है।

इन दोनों इलाकों में कार्ड द्वारा किये जा रहे कामों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मण्डला और डिण्डोरी के इलाके में शहद एकत्र करने के काम में सैकड़ों आदिवासियों को जोड़ने में और एकत्र शहद को अच्छी कीमत पर बेचने में कामयाबी हासिल की है। शहद के शोधन के लिये 20

टन का प्लांट भी कार्ड द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा कार्ड ने अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना भी शुरू की है। पश्चिम में धार झाबुआ के इलाके में संसाधन न होने के कारण रास्ता मुश्किल से निकल रहा है। वहां संसाधन के विकास के लिये तकनालाजी की सहायता से मूल्य बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। वाटरशेड के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन किया जा रहा है और ऐसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं जो रोजगार पर आधारित हैं।

आसा संस्था के अरुण जोशी ने ब्रूस मूर के उद्धरण से अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि देश में गांव तेजी से गरीब होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है। उनका कहना था कि भोजन और आजीविका के लिये उत्पादन के बुनियादी आधार हैं भूमि, पानी और पेड़। जहां तक जमीन का सवाल है, प्रति व्यक्ति भूमि .31 हेक्टेयर है और जोत का आकार भी तेजी से गिरता जा रहा है। बारिश की अनिश्चितता और सूखे के कारण कृषि आधारित अर्थ व्यवस्था और समाजिक आर्थिक व्यवस्था बहुत नाजुक हो गयी है और कभी कभी विपरीत भी हो जाती है। खेती के तरीके भी कई जगह भूभाग के चरित्र अनुकूल नहीं हैं, जैसे झाबुआ में टेकरियों में खेती सीढ़ीदार न होकर ऊपर से नीचे की जाती है। देखा जाय तो मध्यप्रदेश में सभी फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से 40 फीसदी कम है। किसान की इच्छा है कि वह खेती करे लेकिन वह मुश्किल में है।

उन्होंने कहा कि हालात बदलने के लिये प्रति इकाई उत्पादकता बढ़ाने के लिये गहरी खेती और विविधतापूर्ण खेती करना जरूरी है। प्रबंधन की तकनीकों को भी बदलना होगा और यह कोशिश करना होगा कि कृषि संबंधी अनुसंधान लोगों तक पहुंचें। पारंपरिक ज्ञान को भी सहेजना होगा और दुनिया में जो घट रहा है उसकी भी समझ होना जरूरी है, जैसे क्योटो प्रोटोकल और कार्बन क्रेडिट।

पानी के मुद्दों के बारे में अरुण जोशी ने कहा कि पानी के जो संसाधन उपलब्ध हैं उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करना होगा और सिंचाई के तरीके में भी सुधार करना होगा। पानी का संरक्षण करने के सभी तरीके अपनाने होंगे और पानी पर लोगों के अधिकार को भी समझना होगा। पेड़ों के बारे में उन्होने बताया कि सवाल पेड़ बनाम वानिकी का है। हमें यह समझना होगा कि खेती की मौजूदा प्रणाली में पेड़ों की क्या भूमिका है और जमीन और पानी के प्रबंधन में पेड़ को किस प्रकार जोड़ें। जहां तक वेस्ट लैंड का सवाल है, क्या सही में कोई भूमि वेस्टलैंड होती है। सच तो यह है कि वह भी किसी न किसी रूप में आजीविका के साधन उपलब्ध कराती है। हमें मवेशियों, पेड़ और फसल के आपसी रिश्तों को भी समझना होगा और इन्हें मिलाकर देखना होगा।

तीनों स्रोत व्यक्तियों की प्रस्तुति के बाद प्रतिभागियों की तरफ से ढेर सारे सवाल आये और स्रोत दल के तीनों सदस्यों ने उन सवालों का जवाब दिया। सवाल यह आया कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित समस्यों के बारे में स्वैच्छिक संस्थाओं क्या करें? वेद का सीधा जवाब था– हल्ला बोल याने समुदाय के साथ मिलकर शोर मचाइये जिससे सरकार पर दबाव बने और मुद्दों को लेकर मानीटरिंग करें। सरकार से यह जवाब तलब किया जा सकता है कि सरकार पीने का पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है। भूजल के दोहन की मानीटरिंग कर सकते हैं, यह देख सकते हैं कि सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का ठीक से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं। छोटे–छोटे नवाचारों को लेकर सामूहिक कोशिशें भी की जा सकती हैं।

यह महसूस किया गया कि तीनों प्रस्तुतियों में ऊर्जा पर चर्चा नहीं की गयी। वेद ने बताया कि कर्नाटक में गैस से बिजली बनाकर उससे स्प्रिंकलर चलाये जा रहे हैं, ऐसा यहां भी हो सकता है। शोध और उसे मैदान तक पहुंचाने के बीच जो खाई है उसका कारण अरुण जोशी ने यह बताया कि इन्हें सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया नहीं गया। 51 सालों में अनाज की 3600 नयी किस्में आयी हैं लेकिन वे लोगों तक नहीं पहुंची। इसका कारण यह है कि सरकार का एक्सटेन्शन सिस्टम बीजों को पैकेज के रूप में लोगों को देना चाहता है और लोगों की हैसियत पैकेज लेने की नहीं है। बेहतर होता कि केवल बीज को लेकर लोगों के पास जाना चाहिये। फिर यह भी है कि देशज ज्ञान को लोगों के दिमाग से सरलता से दरकिनार नहीं किया जा सकता।

वेद आर्य का ख्याल था कि पानी की नीति ऐसी हो जो समता पर आधारित हो। नलकूप खोदने वालों को लाइसेन्स देकर और भूजल का दोहन नियंत्रित करने के लिये कानून बनाया जा सकता है। साझा बोरवैल अपनाये जा सकते हैं। इसके प्रयोग कर्नाटक में हो रहे हैं। चाहे जहां बोरवैल न खोदने पर पाबन्दी होनाा चाहिये। पानी की किफायत के लिये टपक सिंचाई जैसे किफायती तरीके अपनाये जा सकते हैं। पीने के पानी और सिंचाई के पानी के बीच में खाई के बारे में बताते हुए वेद आर्य ने बताया कि गरमी के मौसम में सिंचाई तो खेतों में होती रहती है और पीने के पानी की कमी रहती है। ऐसा क्यों? यह जरूरी है कि पानी को सही ढंग से किफायत से काम में लेना चाहिये। इसके लिये जागरूकता लाना होगी। आर्य ने सुझाव दिया कि महिला नीति को पानी के संदर्भ में भी देखना चाहिये। मध्यप्रदेश में यह अध्ययन किया जा सकता है कि स्त्रियों को पेय जल लाने में दिन में कितने घण्टे लगाने पड़ते हैं।

जब यह सवाल उठा कि कम पैदावार से किसान अपनी आजीविका कैसे चलायें तो विवेक शर्मा ने यह सुझाया कि ऐसे किसान समूह बनाकर खेती करें। NTFP से भी आय बढ़ायी जा सकती है। पर उत्पादों की बिक्री के लिये बाजार से क्षणिक जुड़ाव से फायदा नहीं होगा, इसके लिये लम्बी अवधि की योजना बनाना चाहिये और बाजार की नब्ज को धीरे–धीरे समझना चाहिये।

अरुण जोशी ने यह भी सुझाया कि निजी भूमि में पेड़ लगाने पर उनकी कटाई पर कुछ प्रजातियों को छोड़कर बन्दिश नहीं है। नये बीजों और नयी किस्मों के बारे में बताया गया कि हर नई किस्म के साथ उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का उपयोग जरूरी नहीं। इस बात पर सहमति जताई गयी कि नयी तकनीक और नये बीजों के प्रयोग अनुसंधान केन्द्र में तो कामयाब होते हैं, पर किसान के यहां कामयाब नहीं होते। जोशी का मत था कि पानी की स्थानीय समस्या को हल करने के लिये ग्रामपंचायत और ॅभ्ळ को मजबूत करना होगा।

झाबुआ में लिफ्ट सिंचाई की योजना क्यों कामयाब नहीं हुई इसका एक कारण यह बताया गया कि मुफ्त बिजली मिलती थी तब यह सफल थी, पर जब बिजली की कीमत बढ़ी तो यह असफल हो गयी। फिर लोगों से पूछकर भी यह योजना नहीं लागू की गयी। वेद का मत था कि नहरी सिंचाई भी कारगर नहीं क्योंकि उसमें पानी का उपयोग किफायत से नहीं किया जाता।

सत्र के सहजकर्ता आसा संस्था के श्री मण्डल ने अंत में कहा कि भूमि और पानी को बचाना राष्ट्रीय हित में है और हमें प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में बहुत सावधानी अपनाना चाहिये और उनके बारे में विचार करते समय समुदाय को सामने रखना चाहिये।

29 अगस्त

दूसरा सत्र

भूमि और जंगल : अधिकार के मुद्दे

इस सत्र में वक्ता थे पैक्स के बोर्ड सदस्य श्री izdk’k लुईस तथा सहजकर्ता के रूप में थे आई.आई.एफ.एम. भोपाल के प्रोफेसर श्री पी.के. fo’okl। सत्र का प्रारम्भ करते हुए श्री विश्वास ने कहा कि पहले सत्र में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस सत्र में की गई बातचीत में महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार व स्वामित्व पर जुड़े पहलुओं पर प्रष्न उठे हैं। पर यह अधिकार या स्वामित्व क्या और कितना है इस पर हम अभी इस सत्र में चर्चा करेंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे।

श्री izdk’k लुईस ने कहा कि आदिवासी कहावत है ‘‘धरती भगवान ने बनायी, हम भगवान की संतान, तो यह सरकार बीच में कहा से आई’’। प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार को समझने के लिए यह कहावत उपयुक्त है।

जल जंगल जमीन से जुड़े मुद्दों पर अपने अनुभव मै रखना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नगनार गांव में कच्चा लोहा निकालने की जो परियोजना चल रही है, उसमें भू अधिकार से जुड़े कई पहलू सामने आये। वहां कीं ग्रामसभा को कहा गया कि वह अपने बैठक में तय करे कि यह कम्पनी वहां आये या नहीं। ग्राम सभा ने मना किया। लेकिन जिला अधिकारी उस गांव में गये और ग्राम सभा के निर्णय के पन्नों को फाड डाला फिर से नये निर्णय लिखे गये जिसमें उस कम्पनी को अपने फेक्ट्री लगाने की इजाजत दे दी गई। उसके बाद वहां पी.यू.सी.एल की टीम गई जिसे उस गांव नहीं जाने दिया गया। इस प्रकार ग्राम सभा द्वारा पंचायत अधिनियम व ‘‘पेसा’’ के अंतर्गत अपने अधिकारों द्वारा लिये गये निर्णय को नहीं माना गया।

जब हम जल जंगल और जमीन की बात करते है और वहां पर लोगों के अधिकार की बात करते है तो वास्तव में हम इससे जुड़े लोगों की जमीर,, स्वाभिमान व सम्मान की बात करते है। इसमें कई प्रकार की जटिल समस्याएं भी आती हैं, जिनसे हमें जूझना पड़ता है। जो संस्थाएं इन मुद्दों पर काम करना चाहती है, उन्हें कई बार सोच लेना चाहिए कि क्या वे इस लड़ाई के लिए तैयार है।

उन्होंने संस्थाओं के विकास क्रम के बारे में कहा कि स्वयं सेवी संस्थाओं में नागिरक अधिकार किस रूप में आया, यह समझना भी हमें जरूरी लगता है। 1940 में हमने चैरिटी से इसकी शुरूआत की थीं उस समय परोपकार की भावना प्रमुख थी। उसी दौर में विकास के क्षेत्र में बहुत सी बातें हुई। यह विकास बड़े निर्माण से जुडा था। पर प्रष्न यह है कि इस विकास की कीमत कौन चुका रहा है। 1956 में नर्मदा बांध पर केवाडिया गांव को विस्थापित किया था, जिसका आज तक पुनर्वास नहीं हो पाया। तो यह प्रष्न ज्यादा गहरा है कि इस विकास की कीमत कौन चुका रहा है। इन अनुभवों के बाद हम सामाजिक एक्षन की बात करने लगे। हमें लगा कि इस विकास के दायरे से कुछ लोग बाहर है जिन्हें विकास के दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। हमारा सामाजिक ढांचा, इसकी संरचना और उसमें विद्यमान असमानता इसके लिए जिम्मेदार है, इस बात को समझकर स्वयं सेवी संस्थाओं ने अधिकारों की बात शुरू की। जल जंगल और जमीन पर अधिकार की बात यहीं से शुरू होती है।

बिहार में सहजानंद के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन शुरू किया था। ''जोतने वालें को जमीन'' के नारे के साथ यह अभियान चलाया गया। दलित आदिवासियों व महिलाओं के जमीन पर अधिकार की बात इसके तीसरे दौर में शुरू हुई। बिहार में 72 प्रतिषत आबादी भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं, जिनका किसी भी रूप में जमीन पर मालिकाना हक नहीं है।

विस्थापन का सबसे ज्यादा बोझ आदिवासी समाज पर ही डाला जाता है। भारत में जितने भी विस्थापन हुए हैं, उसमें 40 izfr'kr आदिवासी है और 25 izfr'kr को ही पुनः बसाने की dksf'k'k की गई। पुनर्वास से उनकी thou'kSyh में सामाजिक, सांस्कृति, आर्थिक व राजनैतिक रूप से भी प्रभाव पड़ा है, जिसका दर्द उन्हें झेलना पड़ता है। इसमें सकारात्मक बात यह है कि कई सारे सामाजिक आंदोलन लोगों के संसाधनों पर अधिकार के लिये हुए हैं। बिहार में ''बोध गया आंदोलन'' के बाद से महिलाओं का नाम भी जमीन से जुड़ा है।

जब भी हम मानव अधिकार की बात करते है तो हमारी बुनियादी अधिकार रोटी, कपड़ा, मकान, षिक्षा, व स्वास्थ्य के साथ ही उसके संसाधनों पर अधिकार भी समाने आती है। इसको मानव अधिकार के रूप में स्वयं सेवी संस्थाओं जोड़ कर देखती हैं।

इन संसाधनों पर अधिकार के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें भूमि सुधार के बारे में भी बात करनी चाहिए। 1950 से ns'k के लगभग सभी प्रदेषों में भूमि सुधार पर बात की गई। मध्यप्रदेष में 18 एकड़ जमीन की सिलिंग लगाई गई। इसमें तीन लाख एकड़ जमीन सिलिंग के ऊपर निकला जिसमें से 60 प्रतिषत हिस्सा भूमिहीनों के बीच बांटा गया पर वास्तविक कब्जे के बारे में सरकार आज भी मौन है। कई सारे समूहों ने स्वयं के प्रयास से इन आंकड़ो को निकालने की कोषिष की पर वह पर्याप्त नहीं है।

जमीन को सुधारने में सवाल यह है कि जमीन खेती लायक है या नही, यह नहीं देखा जाता। इस दिषा में सरकार भी कोई खास प्रयास नही कर रही है। जमीन के साथ सिंचाई/ऋण की व्यवस्था हो इस पर स्वयं सेवी संस्थाए कुछ कर रही ह, पर सरकार कुछ खास नहीं कर रही है।

जहां तक जंगल की बात है, इस पर आदिवासी अधिकार के बारे में विधेयक लाया जा रहा है यह एक सही दिषा में पहलकदमी है। पर इसके विरोध में कई सारे पक्ष काम कर रहे है। हम सभी को मिलकर इस बारे में प्रयास करना चाहिए कि इस विधेयक को कानून के रूप में लागू किया जा सके। वन विभाग इस विधेयक का स्वाभिवक विरोध करेगा। इसे किस प्रकार कम करें इस पर भी हमें सोचने की जरूरत हैं।

जब भी हम वंचित वर्ग के जीवन से जुड़े सवाल पर बात करते हैं, तो यह लगता है कि जब तक जीवन के संसाधनों (जल, जंगल, जमीन) पर उनका अधिकार नहीं होता तब तक इन प्रयासों का क्या अर्थ है। इसके लिये नीति नियन्ताओं, स्वयं सेवी संस्थाओं तथा समुदाय के बीच सामंजस्य बनाने की आवष्यकता है।

अन्त में प्रोफेसर पी. के. विस्वास ने कहा कि भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है कि अभी भी 30 प्रतिषत विस्थापित लोगों का पुर्नवास नहीं हो पाया हैं। 70 की अंत में जो सामाजिक वानिकी योजना चली, उस पर प्रष्न चिन्ह है, क्योंकि उसमें लोगों की भागीदारी नहीं रही है। अभी लोगों की

भागीदारी के लिए संयुक्त वन प्रबंधन/सामुदायिक वन प्रबंधन लाया गया किन्तु इसके परिणाम अभी भी अपेक्षित हैं। वन नीति को लागू करने के लिए जो अधिनियम चाहिए वह अभी भी नहीं है।

इस सत्र में वक्ता व सहजकर्ताओं द्वारा की गई बातचीत पर प्रतिभागियों ने अपनी तरफ से कुछ सुझाव दिये तथा प्रष्न भी किये। उनके द्वारा किये गये प्रमुख सुझाव व प्रष्न इस प्रकार हैं–

- कई बार देखा गया है कि किसी के पास पट्टा है पर जमीन नहीं। कहीं जमीन है पर पट्टा नहीं। कुछ के पास तो दोनों नहीं।ऐसे मामलों को कैसे हल करें।
- वन विधेयक में कुछ चीजें अस्पष्ट है जैसे– जो जमीन आदिवासी समाज को मिली है उसे न तो बेचा जा सकता है न ही उसमें उद्योग लगाया जा सकता है। ऐसे में यदि वह जमीन कृषि योग्य नहीं है तो उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता।
- सबसे आगे का प्रष्न यह है कि जो जमीन उनके पास है उस पर उनका स्वामित्व बना रहे। इस पर भी विचार की जरूरत है।

इन सवालों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री प्रकाष लुईस ने कहा कि जब भी जमीन की बात आती हैं तो विवाद का मुद्दा भी साथ में आता हैं। संस्थाओं को अपनी रणनीति तय करना होगा कि हम विवाद में कितनी दूर तक जा सकते है। या स्थानीय स्तर पर हल निकालने की कोषिष करेगें। बिहार में नक्सल आंदोलन में एक लाख एकड़ जमीन पर कब्जा कर लोगों के बीच बांटा गया पर आज तक किसी को एक एकड़ जमीन का भी पट्टा नहीं मिला हैं। इस स्थिति में जो मजबूत होता है उसका जमीन पर कब्जा होता है। इसकी लड़ाई चलती रहती है इसमें किसान सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। वही चंम्पारण जिले में जिला कलेक्टर में भूमि सुधार की बात की पर जल्द ही भूस्वामियों ने मिलकर उसका स्थानांतरण करा दिया।

इसमें खास बात यही है कि स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाएं मिलकर अपनी रणनीति तय करें कि इन मुद्दों से किस प्रकार निपटा जाये। गांव की स्थानीय स्थिति के बारें लोग जानते है। कब्जा बरकरार रखने के लिए स्वयं सेवी संस्थाऐं नीति नियन्ताओं के साथ तालमेल बनाकर काम कर सकती है।

आदिवासी वन विधेयक में बहुत सारे पक्ष है आदिवासी अपनी जमीन नहीं बेच सकता यह तो पहले का ही नियम है। इस अधिनियम के बारे में अभी चर्चा हो सकती है एक समूह का मानना है कि इसे पारित करे और बाद में सुधार हो, जबकि दूसरा समूह मानता है कि इसे पहले पूर्ण बनाले तब पारित करें। हमें डर है कि दूसरे विकल्प में जाने में मामला फंस सकता है।

इस बातचीत के बाद कुछ प्रतिभागियों ने अपनी तरफ से नये सवाल व सुझाव प्रस्तुत किये जो इस प्रकार हैं –

- जमीन पर पट्टे और जमीन पर कब्जे से सम्बंधित बहुत से केस अदालतों में विचाराधीन है। इसी प्रकार विस्थापन का मुआवजा भी अधिकांष आंषिक प्रभावितों को नहीं मिल पा रहा है।
- NTFP के लिए सहकारी समितियों को बनाने बात की गई थी पर आज तक उन्हें कोई अधिकार नहीं मिला है। वन विभाग अपने स्तर पर ही खरीद बिक्री कर रहा है। तेंदूपत्ता में भी किसी प्रकार की पारदर्षिता नहीं बरती जाती हैं।

- नीतियां लोगों के लिए दिवास्वप्न हैं। एक तो उससे सबंधित कानून ही नहीं बनता है यदि बनता भी है तो लागू नहीं होता।
- हजारों एकड़ जमीन भूदान बोर्ड के नाम से है। चरनोई भूमि के कार्यक्रम का भी कहीं अता पता नहीं है। रणनीति बनाने की जरूरत है।
- 44 ग्राम वन सुरक्षा समितियों को प्रषिक्षण दिया गया, पर वन समितियां ग्राम सभा की अनुमति से नहीं बनी। वनों के उपयोगकर्ता को इन समितियों का सदस्य बनाना चाहिए पर वन विभाग में अपने मन से समितियां बन ली। संयुक्त वन प्रबंधन का पैसा वन विभाग के पास है जिसका उचित उपयोग नहीं हो रहा है।
- ज्यादातर संस्थाओं के एजेण्डे में भूमि नहीं है। यह समस्या लोगों के खड़े होने से हल होगी खासकर महिला समूहों के। इस बारे में सुझाव है कि अपने क्षेत्र के जमीन की प्रोफाइल बनाये जायें, महिला समूहों को इस लड़ाई का नेतृत्व दें और संस्थाएं भूमि समस्या से सम्बंधित जानकारी व ज्ञान को बढायें।
- वन आधारित अजीविका छोड़ कर कृषि आधारित अजीविका पर जाना एक तरह से आन्याय होगा। हमें आदिवासी वन विधेयक का समर्थन करना चाहिए। चरनोई भूमि को लेकर एक प्रष्न है की पांचवी अनुसूची के क्षेत्र में जो भूमि है उसका आवंटन राज्य सरकार कैसे कर सकती है। संस्थाएं इस बारे में क्या एक्षन ले सकती है।
- भूमि अधिकार की जहां तक बात है, यह न्याय और भावना का मुद्दा है। उत्पादन व आजीविका भी इससे जुड़े है। 1950 के बाद क्या सचमुच जमींदार आज बचे है। 1950 के बाद आज परिवार चार गुना हो चुका है तो क्या अभी भी बड़ी जोत की जमीन लोगों के पास है? क्या भूमि का बंटवारा उत्पादन को बढ़ाने में उपयोगी होगा या उससे स्थिति और बिगड़ेगी। छोटी जमीन पर आजीविका का मॉडल क्या हो सकता है अभी भी हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे है। छोटी जमीन के मालिक को भी 100 से 150 दिन की मजदूरी देने का प्रष्न है।
- भूमि से संबंधित नक्षों/खसरों में सुधार की आवष्यकता है।

इन सवालों के बारे में श्री प्रकाष लुईस ने कहा कि कई सारे सुझाव है जो प्रष्न उठाये गये है उन पर हमारा यही कहना है कि हम यह देखें कि लोग आपस में लड़ रहे हैं कि उन्हें लड़ाया जा रहा है। एक ही जमीन का पट्टा कई सारे लोगों को दिया जा रहा है जिससे विवाद बढ़ते है। इस पर काम करना बुनियादी सवाल है। दूसरी बात यह है कि जमीन के मुद्दे पर काम करने वाली प्रमुख संस्था एकता परिषद के काम का 2002 में मूल्यांकन किया गया। इसमें जिले स्तर पर टास्कफोर्स बनाने की बात की गई। टास्कफोर्स तो बन गया पर उसकी भूमिका, दायित्व, अधिकार क्या रहें इस पर भी प्रष्नचिन्ह है। सरकारों ने उद्योगों को जमीन देने के मामले में 24 घण्टे में प्रक्रियाएं पूरी कर जमीन दी है, पर ऐसा अधिकार टास्कफोर्स को नहीं दिया गया। इस प्रकार के टाक्सफोर्स को अधिकार न देने की मजबूत राजनीति इच्छा शक्ति है। इस दिषा में पैक्स को सोचने की बात यह है कि इन टास्कफोर्स के साथ कैसे तालमेल बनाये। मैं यह मानता हूं कि भूमि सुधार पर

तथ्य एकत्र करने की जरूरत है पर संस्थाओं के लिए यह एन्ट्री पाइन्ट नहीं हो सकती। इस पर अपने काम के साथ मुद्दों को आगे बढाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि कई अनुभवों से यह निकला है कि हमें कई बार अवसर मिलते हैं, उसे भुनाने की जरूरत है। हमें अपनी जानकारी बढाने की जरूरत है। सांमती मानसिकता की बात यहॉ प्रमुख है। बड़े उत्पादन में मजदूरी बढ़ी ऐसा नहीं देखा गया। किसान और मजदूर मिलकर आन्दोलन और काम करें तो शायद तस्वीर बदले। कृषि मजदूरों के लिए विकल्प क्या हो, इस पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार की जरूरत है।

प्रोफेसर विश्वास ने इसमें जोड़ा कि NTFP के लिए एक नीति बनी भी इससे बहुत सारे प्रबंधकीय व प्रक्रियागत दिक्कतें है। M.F.P. पर अधिकार 73 वें संषोधन में ग्राम पंचायत को दिया गया। पर इसका क्रियावयन अभी तक कहीं नहीं हो पाया है।

व्यावहारिक रूप से वन संसाधनों पर लोगों के अधिकार और उपयोग को लेकर संयुक्त वन प्रबंधन. काम कर रहा है। कई बार स्वयंसेवी संस्थाओं को जानकारी नहीं होती तो हम भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते है। यह हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे तथ्यात्मक बात करें। इसी तरह विभाग के लोगों की भी जानकारी बढ़ाने की जरूरत है तभी हम अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभा सकने में सक्षम हो पाएगें। इसमें हमें मजबूत एडवोकेसी रोल निभाने की जरूरत है।

सत्र में नए प्रष्न व सुझान पुनः आएं जैसे :–

- हाल ही में सरकार का निर्णय आया है कि किसी भी आदिवासी को वन भूमि से हटाया नहीं जा सकता। हम स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग वनवासियों के दस्तावेजी सबूत एकत्र करने के मदद करें, पंचायत आदि माध्यम से।
- महिलाओं के भूमि अधिकार पर मध्यप्रदेष सरकार ने पंजीयन में 2 प्रतिषत स्टाम्प डयूटी में छूट दी गयी है, पर इसकी जानकारी कम है।
- 1980 से पहले के कब्जे को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी आदिवासी को दे दी गई है। पर वह कैसे कर पाएगा क्योंकि उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है न ही उनमें दस्तावेज रखने की आदत है। जब कि यह तथ्य सरकार के पास विभिन्न विवरणों में उपलब्ध है।

श्री प्रकाष ने इन सवालों व सुझावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी रणनीति में स्वामित्व का सबूत लाने में काम करने की जरूरत होगी। यहां ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। जमीन से सरपल्स कैसे पैदा करें, इससे बडा सवाल यह है कि उस पर कब्जा कैसे बरकरार रखें। इस पर पहले बात करें।

प्रोफेसर पी.के.विश्वास ने कहा कि अधिकार, जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता को आपस में जुड़ना चाहिए। तभी इन सवालों पर हम कुछ सार्थक कर सकते है। संयुक्त वन प्रबंधन में स्वामित्व से ज्यादा, उपयोग के अधिकार पर बात की गई है। यदि आप भावनात्मक रूप से सषक्त नहीं है तो काम नहीं कर सकते। पर उसके साथ हमें तथ्यात्मक भी होने की जरूरत है। एक्ट/नीति में हमें सुझाव देने की छूट है। हम आपस में कैसे समन्वय कर सकते है और पूरक की भूमिका देख सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है।

विषय– आजीविका के लिये वित्त

<u>सत्र 1– ऋण</u>

स्रोत व्यक्ति– 1. श्री ए.के. माथुर, सी जे एम नबार्ड
2. श्री एस. भट्टाचार्य, सी जे एम, स्टेट बैंक आफ इण्डिया

इस सत्र के सहजकर्ता आई आई एफ एम के प्रो. पी. के. बिस्वास। प्रारम्भ में श्री ए. के. माथुर ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में ग्रामीणों की खासकर आदिवासियों की आजीविका का बहुत महत्व है। मध्यप्रदेश में 13 आदिवासी जिले हैं। मध्यप्रदेश की आबादी करीब 6 करोड़ है, जिसमें से तीन चौथाई ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 37 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। आदिवासियों की संख्या 20 प्रतिशत है और अनुसूचित जाति की आबादी 15.5 प्रतिशत है। प्रति व्यक्ति औसत सालाना राष्ट्रीय आय 11718 रुपये के मुकाबले मध्यप्रदेश के निवासियों की प्रति व्यक्ति औसत आय 7635 रुपये है। नबार्ड ने मध्यप्रदेश esa SHGs का विशाल कार्यक्रम बनाया और SHGs का बैंकों से लिंकेज हो रहा है। प्रदेश में 3 लाख SHG में से 48 हजार टिकाऊ SHG को सहायता मिल रही है।

उन्होंने आगे कहा कि आजीविका के लिये एसेट्स और गतिविधियां जरूरी हैं। इसके लिये अल्पकालीन सहायता से काम नहीं बनेगा। नबार्ड के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि नबार्ड कई कामों के लिये ऋण देता हैं जैसे,

- जलग्रहण विकास निधि जो रिज से वैली के सिद्धान्त पर चलती है। गांधी जलग्रहण मिशन के अन्तर्गत बिखरे रूप में काम हुआ था और किसानों को ज्यादा लाभ नहीं मिला था। उससे सीख लेकर नबार्ड ने रिज टु वैली की अवधारणा पर काम शुरू किया है। इसमें खेती की विभिन्न तकनीकें और जलसंरक्षण के कारगर तरीके अपनाये जा रहे हैं।
- जो छोटी छोटी भूमि खेती के काम की नहीं है, उसमें सब्जी, फल, औषधीय पौधे लगाने के लिये झाबुआ और धार जिले में वाडी योजना काम कर रही हैं
- वाटर हारवेस्टिंग स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 50 प्रतिशत सबसिडी दी जाती है।
- किसान को अपने उत्पाद का सही दाम मिले इसके लिये नबार्ड विपणन की गतिवधियां भी करता है।

श्री माथुर ने यह भी बताया कि मध्यप्रदेश में राज्य सरकार के 6 विभाग SHG बनाने में लगे हैं और 3 लाख से ज्यादा बने हैं। जो SHGs बने हैं उन्हें ही मजबूत बनाने की कोशिश की जानी चाहिये और उनकी तादाद पर जोर नहीं देना चाहिये। नबार्ड 44 स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिये ये काम कर रहा है। उनकी सलाह थी कि जिला स्तर पर उन SHGs को लें जो ए वर्ग के हैं। कई SHG के पास अच्छी बचत है पर उनके पास दिशा नहीं है कि इस राशि का क्या करें। NGOs उन्हें मार्गदर्शन देकर उनका पैसा उत्पादक कामों में लगवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नये समूहों को राशि देने के लिये 6 माह की बंदिश जरूरी नहीं है।

उन्होंने आगे जानकारी दी कि प्रदेश के 27 जिलों में नबार्ड के डी जी एम हैं जो 48 जिलों का काम देख रहे हैं। ग्रामीण उद्यमियों की क्षमता बढ़ाने के लिये नबार्ड समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित करता है, जिसका लाभ NGOs और SHGs ले सकते हैं। प्रतिभागियों का मत था कि नबार्ड को ब्लाक स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है।

इसके उपरान्त स्टेट बैंक आफ इण्डिया के चीफ जनरल मैनेजर श्री भट्टाचार्य ने संबोधित किया। उन्होंने बैंक की ऐसी सभी योजनाओं की जानकारी दी जो ग्रामीण जनों के लिये उपयोगी हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि 2004–05 में 10 हजार SHGs को क्रेडिट लिंक दिया गया। मध्यप्रदेश में कर्ज देने में कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश और तामिलनाडु जैसी बेईमानी नहीं है। लघु ऋण में हर साल 3 हजार करोड़ रुपये दिये जाते हैं। उनका ख्याल था कि SHGs में आपस में तो कर्ज दिया जाता है पर आर्थिक गतिविधियां नहीं के बराबर हैं। केवल SHGs से काम नहीं चलेगा, बल्कि और भी माडल विकसित करने होंगे। ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिल से ग्रामीणों को बहुत लाभ होगा और उससे आजीविका के रास्ते खुलेंगे।

इसके बाद प्रतिभागियों ने उन कठिनाईयों का जिक्र किया जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों में होती है। ऐसी ढेर सारी समस्याएं प्रतिभागियों ने रखीं। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि जो भी समस्याएं हों, उनके बारे में उन्हें agmbpmm.lhobho@sbi.co.in ईमेल पर भेजी जा सकती हैं। फोन नं. 1–5–600–2337551 पर श्री एस के देशपाण्डे या सीधे फोन पर 0755–2576851 पर भी शिकायत की जा सकती है। इस आश्वासन से प्रतिभागियों को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने श्री भट्टाचार्य को धन्यवाद दिया। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि वे जिला स्तर पर की बैठक करेंगे।

अन्त में श्री पी के बिस्वास ने सत्र का समापन किया।

<u>सत्र 2– वन आधारित आजीविका</u>

स्रोत व्यक्ति– श्री बी एम एस राठौर, बायो डायवर्सिटी बोर्ड, भोपाल
श्री पी के बिस्वास, आई आई एफ एम, भोपाल

दूसरे सत्र में वन आधारित आजीविका के मुद्दे पर कार्यषाला में चर्चा की गई इस सत्र में प्रमुख वक्ता e/;izns'k जैव विविधता बोर्ड के समन्वयक श्री बी.एम.एस राठौर थे, तथा सहजकर्ता थे आई.आई.एफ.एम के प्रो. पी.के.विस्वास। इस सत्र में कहा गया कि e/;izns'k और छत्तीसगढ़ बारे में हम वन और आदिवासी के बिना सोच भी नहीं सकते। वनों से आजीविका और उसके संरक्षण साथ में चलना चाहिए।

श्री बी.एम.एस राठौर ने इस सत्र में वन आधारित आजीविका को जैव विविधता पर केन्द्रित किया । उन्होंने अपने प्रस्तुतिकरण में कहा कि जंगल आजीविका का एक घटक है। हम जैव विविधता में संरक्षण व आजीविका की बात साथ–साथ करते हैं। इस तरह हम जैव विविधता आधारित आजीविका की बात करते हैं। जैव विविधता गांव में खाद्य सुरक्षा से जुड़ा मसला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जैव विविधता परम्परागत चिकित्सा पद्धति की बात करता है। जैव विविधता से हमारी संस्कृति जुड़ी है हमारे रीति–रिवाज मान्यताएं, परम्परायें इन जैव विविधता से जुड़ी है। जैव विविधता में पारिस्थकी, अनुवांषिकी, जातीय विविधता की बात करता है।

जैव विविधता को समझने के लिए हम यह समझें कि जैसे 84 लाख योनियों की बात हमारे शास्त्रों में की गई है, इन योनियों को मिला लें तो जैव विविधता बनती है। जितने तरह के इलाके है और इन इलाकों से जीवन का जो संबंध है वह जैव विविधता है। एक ही अनुवांषिक स्थिति में विविधता जैव विविधता है। कृषि, पषुपालन, मत्स्यपालन में जो विविधता है उसको मिला ले तो वह जैव विविधता है। इनके संरक्षण का प्रष्न इनके बचाव के संबंधों पर भी बात करता है। जैव विविधता से आजीविका की अपार संभावना है अभी हम इसमें से 5 से 10 प्रतिषत का ही उपयोग कर पा रहे हैं।

जैव विविधता में हमें पारस्थितिकी व आजीविका की सुरक्षा मिलती है, किन्तु अभी की स्थिति यह है कि विस्थापन के कारण यह विविधता कम होती जा रही है। इस वजह से न केवल रहने के स्थानों में बल्कि वनों और वनस्पतियों की विधिता को भी इस वजह से नुकसान पहुॅचा है और यह गरीबतम जगहों पर ज्यादा देखी जाती है। यह स्थिति क्यों बन रही है इस बारें में श्री राठौर ने अपने प्रस्तुतिकरण में कहा कि हम शायद इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि जैव विविधता के संरक्षण का बोझ उठा सके साथ ही कोई संस्थागत व्यवस्था न होने की वजह से बाजार की ताकते अपने हित में हमारे संसाधनों का दोहन कर रहीं हैं। इसमें एक तथ्य यह भी है कि बाजार ने नगदी फसल उत्पाद को बढ़ावा दिया है जिसका प्रभाव परम्परागत फसलों पर पड़ा है और इसकी कीमत पर्यावरण और जैव विविधता को चुकानी पड़ रही है। जैव विविधता का मुद्दा नीति और योजना से भी जुड़ा है। सरकारों का भी इस विषय में पर्याप्त ध्यान नही है एक पूरे देष के लिए नीति के अभाव में अलग–अलग राज्यों में जैव विविधता के बारें में अलग नीतिया है , इनके बीच भी बड़ी विषमताएं है। इसमें जागरुकता का अभाव भी देखा जा सकता है।

इस चर्चा के बाद श्री राठौर ने कहा कि vk’kk की किरण भी है, जब हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में समुदाय, परिवार, किसानों, स्वयंसेवी संस्थाओं सामुदायिक संगठनों, सरकारी प्रयासों, अकादमिक संस्थाओं आदि के प्रयासों से जैव विविधता संरक्षण की सफलता की बहुत सारी कहानियां मिलती हैं।

इस बारे में सरकार व स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका के बारे में उनका कहना था कि जैव विविधता के संरक्षण से आजीविका सुरक्षा हम सबका साझा विजन होना चाहिए। पैक्स कार्यक्रम के बारें में उन्होंने कहा कि पैक्स के सभी सहयोगी संस्थाएं अपने कार्यक्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण और इन पर आधारित आजीविका के प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद करें । यह काम अपने क्षेत्र का जैवविविधता के दस्तावेज तैयार करने से प्रारम्भ किया जा सकता है।

इस प्रस्तुतिकरण के बाद प्रतिभागियों ने कुछ सवाल कि और सुझाव भी दिये। कहा गया कि बाजार जो मांगता है लोग वही उगायेगे। बेहतर हो कि बुजुर्गों से जैव विविधता के बारें में जानकारी एकत्र की जाये। महसूस किया गया कि छत्तीसगढ़ में बायो डायवर्सिटी के काम को पुर्नजीवत किया जाना चाहिये। इसे एक अभियान के रूप में करना चाहिए। यह याद दिलाया गया कि मध्यप्रदेष में यह स्वयं सेवी संस्थाओं से एजेण्डा के रूप में नहीं उभरा है। यह भी सवाल उठा कि कहीं बहुराष्ट्रीय कम्पनी इनका दुरुपयोग न करें।

जवाब में श्री राठौर ने कहा कि दस्तावेजीकरण के दुरुपयोग की संभावना तो रहती है। हमें कोषिष करना होगा की जानकारी चोरी न हो। वैसे इन जानकारियों का व्यापारिक उपयोग होने पर समुदाय को लाभ मिल सकता है। श्री राठौर ने कहा कि जैव विविधता से आजीविका के उदाहरण कई गांव में हैं। इनके प्रचार–प्रसार दस्तावेज तैयार करने की जरूरत है। मध्यप्रदेष में बैठको की आंचलिक प्रक्रियाएं चल रही है। बाजार के दबाव को किस तरह से संसाधनों की सुरक्षा व आजीविका के संरक्षण में उपयोग किया जा सकता है। यह देखना है यदि इस दबाव में जैव विविधता की संरक्षण नहीं हो रहा है तो समाज व कानून की व्यवस्थाऐं इसके लिए जिम्मेदार है।

सवाल उठाय गया कि जैव विविधता को खान–पान की शहरी आदतों में कैसे लाया जा सकता है। जहां तक संरक्षण की बात है वह लोगों को हटाकर की जाती है। सवाल यह है कि कैसे लोगों को शामिल करते हुए जैव विविधता के संरक्षण की बात की जाये। यह भी कहा गया कि रतन जोत भारतीय मूल का पौधा नहीं है, इसे व्यापक पैमाने पर बायो डीजल बनाने के लिए उगाया जा रहा है। ऐसा करना हमारे यहां की जैव विविधता पर क्या विपरीत असर डाल सकता है ?

श्री राठौर कहा कि डेकन डेवलपमेंट सोसायटी (डी.डी.एस) ने खान–पान की आदतों के बारे में काम किया है इसमें और भी संस्थाएं आगे आ सकती है। 2006 में आंचालिक जैव विविधता मेले का आयोजन प्रस्तावित है इसमे हम सभी भाग ले । रतन जोत भारत का ही एक पौधा है सदियों से यह बना रहा पर यह सही बात है कि जब भी एक ही फसल को बड़े पैमाने पर लेते है तो दिक्कतें तो होगी ही। हम इसके dEchus’ku पर सोच सकते है। जैव विविधता संबंधित पुस्तिका, ‘‘हमारे जंगल हमीं पहरुए’’ का गोंडी में अनुवाद किया गया है। इस पुस्तक में कानून को सरल ढंग से लिखने का प्रयास किया गया है। हम जैव विविधता के पहलुओं को भी सरल ढंग से लिखने की कोषिष कर रहे है।

इसी बीच एक प्रष्न आया कि खरपतवारों से हमारे चारागाह समाप्त हो रहे हैं।इसका जैव विविधता पर क्या असर पड़ेगा? इसके उत्तर में राठौर ने कहा आयातित बीज और पौधों ने पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया है, इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। इस काम के लिये हमें सूचना की बड़ी जरूरत है जिससे हम व्यवस्थित काम कर सकते है। इंटरनेट के माध्यम से और स्थानीय स्तर पर भी सूचनाएं एकत्र की जा सकती है।

एक अन्य प्रष्न यह भी आया कि कीटनाषक के उपयोग से कृषि में सहायक महत्वपूर्ण कीट़ और घासें भी नष्ट हो रही है। इस पर क्या रुख है। श्री राठौर ने कहा कि मध्यप्रदेष में 7 जिलों में राज्य योजना मंडल से कीटनाषक के प्रयोग की मानिटरिंग की जिम्मेदारी जैव विविधता बोर्ड को मिली है। हम उन गतिविधियों को भी चिन्हित करेंगे, जो जैव विविधता पर प्रतिकूल असर डालती है। रासायनिक खाद और कीटनाषक के असंतुलित उपयोग से जो नुकसान हुआ है पर भी हमें सचेत होना होगा। हम इसके विकल्पों की पहचान कर रहे हैं।

सत्र के अंत में प्रो. विश्वास ने कहा कि कई बार हम व्यक्ति केन्द्रित हो जाते है उसे संस्थागत स्वरूप में देखना चाहिए तभी हम संवेदनषील व्यक्ति के न हो पर भी हम अपना काम कर पाएगें। ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना संसाधन केन्द्र स्थापित करें लोगों के पास जो ज्ञान है उसे बचा कर रखना जरूरी है।

अंत में सभी प्रतिभागियों को क्षेत्रीय आधार पर हुए कार्यषालाओं के प्रतिवेदन की प्रस्तुतिकरण तैयार करने को कहा गया। पूर्व में हुई क्षेत्रीय कार्यषालाओं में आजीविका के उद्देष्य, इसके मुद्दें, समस्या व चुनौतियां, अवसर,, हस्तक्षेप के क्षेत्र, मजबूती व सीमाएं तथा समूह की रणनीति के बारें में विस्तार से चर्चा की गई थी जिसे इस कार्यषाला में अगले दिन प्रस्तुत किया जाना है ।

30 अगस्त 2005

विषय– मानव पूंजी की गुणवत्ता

सत्र 1– श्रम और बाल श्रम

स्रोत व्यक्ति– श्री वी वी राव, एम वी फाउन्डेशन, हैदराबाद

इस सत्र के सहजकर्ता श्री अनवर जाफरी थे। सत्र की भूमिका बनाते हुए अनवर जाफरी ने कहा कि देश की एक सौ करोड़ की आबादी में 40 हजार लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और 6 करोड़ बच्चे बालश्रम के शिकार हैं। बाल श्रम के बारे जो अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है उसमें हमारे देश ने दस्तखत नहीं किये हैं क्योंकि हमारे यहां बालश्रम इतना व्यापक और गहरा है कि उसे खत्म करना असंभव सा लग रहा है।

एम वी फाउन्डेशन के श्री वी वी राव ने बताया उनकी संस्था का पंजीकरण 1981 में हुआ और वह 1991 से आन्ध्रप्रदेश में बालश्रम पर काम कर रही है। आन्ध्रप्रदेश में बंधुआ मजदूर ज्यादातर बच्चे हैं। संस्था ने उनका पुनर्वास करके उन्हें शाला में भरती कराया। ब्रिज कोर्स स्कूल के बाहर और फिर स्कूल में भी ब्रिज कोर्स शुरू करके संस्था ने 15 साल में करीब 20 हजार बच्चों को बालश्रम से मुक्ति दिलाकर स्कूलों में भरती कराया। इस काम के लिये उन्होंने महिला समितियों, पालक शिक्षक संघ, युवा समितियों और पंचायत सदस्यों के जरिये समुदाय को जोड़ा और उन सभी का सहयोग लिया। आज आन्ध्र प्रदेश के 150 गांव बाल श्रम से मुक्त हैं। संस्था का मत है कि सभी बच्चों को पूरे समय स्कूल जाना चाहिये। इस उद्देश्य से संस्था ने बाल श्रमिकों को खतरनाक काम से बाहर किया। संस्था ने कारखानों के मालिकों को विश्वास में लेकर उनके कारखाने के बच्चों को भी स्कूल में भरती कराया। संस्था पहले कारखानेदार से बात नहीं करती। पहले बच्चे को और फिर मातापिता को मोटिवेट करके उसे आवासी ब्रिज कोर्स में लाते हैं और फिर कारखाने के मालिकों को समझाते हैं और उसे विश्वास में लेकर उसका भी सहयोग लेते हैं।

अलग अलग आयुवर्ग के बच्चों के लिये अलग–अलग नीति तय की गयी। संस्था ने 5–8 साल के बच्चों को सीधे स्कूल में भरती कराया। 9–14 साल के बच्चों को आवासी ब्रिज कोर्स (Residential Bridge Course- RBC) में 6 माह रखकर और पढ़ाकर पांचवीं कक्षा में भरती कराया। 12–14 साल के बच्चों को आवासी स्कूल मे 18 माह का ब्रिज कोर्स करके 8 वीं में भरती कराया। ब्रिज कोर्स करने वाले बच्चों का फालोअप भी संस्था द्वारा किया जाता है।

इसके अलावा गांव के लोगों के सहयोग से पैसा एकत्र करके सामुदायिक शिक्षक और आवास की व्यवस्था की। शिक्षकों का एक संगठन ''बाल कार्य विमोचन'' बनाया गया । श्री राव ने बताया कि एम वी फाउन्डेशन के काम की सफलता से आन्ध्रप्रदेश की सरकार ने भी अपनी नीति बदली। उसने

गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को पढ़ाकर प्रमोट कराया और सर्व शिक्षा अभियान में भी आवासी ब्रिज कोर्स शुरू किया।

श्री राव ने जानकारी दी कि एम वी फाउन्डेशन ने मध्यप्रदेश के 25 जिलों में भी लड़कियों के लिये आवासी ब्रिज कोर्स शुरू किया है। यह जरूर है कि मध्यप्रदेश में पहले एक साल काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।

एम वी फाउन्डेशन की सफलता से प्रभावित प्रतिभागियों ने कई सवाल उठाये और बताया कि ज्यादातर NGOs को एम वी फाउन्डेशन इस नायाब काम की जानकारी नहीं है। जनका जवाब देते हुए श्री राव ने बताया कि पारंपरिक काम में या कारखानों, खेतों में काम पर लगे बच्चों को स्कूल भेजने के लिये प्रेरित करने के लिये माता पिता को और गांव के विभिंन्न वर्गों को तथा शिक्षकों को विश्वास में लिया गया। उन्हें यह भी बताया गया कि अन्य गरीब बच्चे भी तो स्कूल जा रहे हैं। मातापिता को समझाया गया कि यदि बच्चा काम छोड़कर स्कूल में पढ़ेगा तो घर की आय कम नहीं होने वाली है क्योंकि जो काम बच्चा छोड़ेगा वह बड़ों को मिलेगा और बड़ों को तो बच्चों को मिल रही मजदूरी से ज्यादा मजदूरी मिलेगी।

उन्होंने बताया कि लोगों से संवाद करते समय यह ध्यान रखा गया कि सिर्फ सकारात्मक बातें की जायें और शिक्षकों का भी सहयोग लिया गया। पहले संस्था ने अनुसूचित जाति और जनजाति में काम किया पर बाद में सभी के लिये काम किया और घर–घर जाकर सहयोग प्राप्त किया। उनका काम ग्रामीण व्यावसायिक क्षेत्र में ज्यादा है, शहरी क्षेत्र में नहीं। संस्था द्वारा 14 साल तक व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जाती, सिर्फ पढ़ाई को ही जरूरी माना गया हैं

श्री राव ने बताया कि आन्ध्रप्रदेश के स्कूलों की स्थिति 10 साल पहले मध्यप्रदेश के स्कूलों जैसी बदतर थी। अब वहां हालात पहले से बेहतर हैं। रंगारेड्डी जिले में 95 प्रतिशत बच्चे स्कूल जा रहे हैं। गांव स्तर पर बालिका शिक्षा और बाल विवाह की समस्या का हल करने में आवासी ब्रिज कोर्स सहायक हुए हैं। 14 साल तक आवासी ब्रिज कोर्स में रहने के कारण बालिकाएं बाल विवाह से दूर हो गयीं पर इसके लिये मातापिता को समझाना पड़ता है। मध्यप्रदेश में जहां समस्या है वहां बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, पर जहां समस्या नहीं है वहां भी तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। ऐसे में समुदाय को मोटिवेट करना होगा।

जब मध्यप्रदेश के स्कूलों की निष्क्रियता के कारण शिक्षा की बदतर हालत के हल के लिये उनसे सुझाव मांगे गये तो उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में नवम्बर तक 30 हजार शिक्षाकर्मी नियुक्त होने वाले हैं और सर्व शिक्षा अभियान तथा ''स्कूल चलें हम'' योजनाओं के लागू होने से सुधार की गुंजाइश है। ग्रामसभाओं को सशक्त बनाकर भी गांवों में शिक्षा की हालत में सुधार की कोशिश कर सकते हैं। बालश्रम से मुक्त कराना ही काफी नहीं है, जरूरी है कि बच्चे को स्कूल में भरती कराया जाये। उन्होने सुझाव दिया कि एम वी फाउन्डेशन के सहयोग PACS में एक छोटा ग्रुप बनाया जा सकता है और बालश्रम के मुददे पर काम कर सकता है। प्रतिभागियों ने महसूस किया कि ऐसा किया जा सकता है।

जब प्रतिभागियों से यह सुझाव आया कि NGOs को भी शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहिये तो श्री राव ने कहा कि गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च NGOs कब तक बर्दाश्त करेंगे? असल में

सरकारी प्रणाली के साथ काम करना ठीक है। अब मध्यप्रदेश सरकार सर्व शिक्षा अभियान के जरिये स्कूली शिक्षा के लिये खर्च करने लगी है।

सहजकर्ता श्री अनवर जाफरी ने सत्र का समापन किया और एम वी फाउन्डेशन के काम के प्रति प्रतिभागियों की रुचि की सराहना की।

<u>सत्र 2– जेण्डर और आजीविका</u>

स्रोत व्यक्ति– 1. मालिनी सुब्रह्मण्यम, एक्शन एड
2. वनिता, उ़द्योगिनी, दिल्ली
3. रानू भोगल, कर्मदक्ष, भोपाल

दूसरा सत्र जेण्डर व आजीविका पर केन्द्रित था। इस सत्र में सहजकर्ता के रूप में ताल, भोपाल के श्री अमोद खन्ना थे। सत्र में स्रोत व्यक्ति के रुप में एक्षन एड की क्षेत्रीय समन्वयक सुश्री मालिनी सुब्रमण्यम, उद्योगिनी की प्रमुख सुश्री वनिता विष्वनाथ तथा कर्मदक्ष की रानू भोगल उपस्थित थीं। सुश्री रानू ने सत्र को प्रारम्भ करते हुए कहा कि इस कार्यषाला के उद्घाटन सत्र के बाद क्षेत्रीय कार्यषाला के बिन्दुओं का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा की गई। इन चर्चाओं में लिखित रूप में तो महिलाओं के मुद्दों को उठाया गया, किन्तु बातचीत में वे मुद्दे नहीं उभर सके। इस सत्र में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

इस सत्र में मालिनी ने जेण्डर पर अवधारणात्मक समझ को सामने रखा, जिसमें गरीबी का एक बड़ा कारण उन्होने सामाजिक असमानता को बताया। यह असमानता जातियों और वर्गो के साथ महिला पुरुष के बीच भी होता है, जिस पर कई बार हमारी नजर नहीं पड़ती या इसे ज्यादा महत्व नहीं मिल पाता। इस असमानता के कारण सामाजिक रिष्ते तय हो जाते है जो महिला की स्थिति को नीचे रखते है। इस सामाजिक रिष्ते पर बात किए वगैर हम गरीबी को नहीं समझ सकते। यह रिष्ता बना रहे इसके लिए समाज में कुछ ढांचे जिम्मेदार है, जो राज्य,, बाजार, समुदाय व परिवार के रूपा में हमारे बीच विद्यमान है। ऐसा नही है कि यह रिष्ते बदल नहीं सकते , इसके लिए प्रयास करने की जरुरत है। हमार यह प्रयास व्यवहारिक जरुरतों के लिए भी हो और इन ढांचों को तोड़ने के लिए भी हो । किन्तु अभी तक के अनुभव में यही आया है कि ज्यादातर लोग व संस्थाएं व्यवहारिक जरुरतों के बारें में काम करते हैं। हमें ढांचों पर भी असर डालने की कोषिष करनी चाहिए।

सुश्री वनिता ने इसमें जोड़ा की जब हम जेण्डर पर काम करते हैं, तो इसे परियोजना का एक हिस्सा मानते हैं। जबकि यह हमारे दृष्टिकोण में होना चहिए कि हम क्या कर रहे है। इसमें सबसे पहले हमें स्वयं में और अपनी संस्था में बदलाव लाने की आवष्यकता है। रानू ने सुझाव दिया कि जेण्डर पर ज्यादा विस्तार से बात करने के लिए हम पैक्स साथियों के लिए अलग से कार्यषाला कर सकते है।

सुश्री मालिनी ने अपनी बात एक प्रस्तुतिकरण और बीच–बीच में प्रतिभागियों से सवाल–जबाव के रूप में रखी। उन्होंने कहा कि जेण्डर जैसे मुद्दे पर काम करने में मजा आता है। पर चर्चा करना थोड़ा कठिन है। जेण्डर जैसे मुद्दे पर पूरी समझ तो नहीं है, पर यह नारीवादी विचार के साथ आगे बढता है। इस पर सिर्फ सुनें ही नहीं बल्कि अपनी टिप्पणी दें। पैक्स कार्यक्रम में हमें देखना है कि इसमें सिर्फ जेण्डर ही नही बल्कि महिलाओं को भी फोकस में रखा। आजीविका से महिलाओं का

मुद्दा सीधा जुड़ा रहा है। गरीबी एक नतीजा है सामाजिक गैर बराबरी का। यह गैर बराबरी दलित, आदिवासी महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा दिखता है। इससे वितरण प्रणाली बराबरी से यह अंतर दिखता है। इसी से जुड़ा है समाज में महिला एवं पुरूष के रिष्ते । इसे छोड़कर हम गरीबी की बात नहीं कर सकते। सामाजिक रिष्ते नहीं है। यह बदल सकते है। सामाजिक रिष्ते बने रहे यह समाज में अच्छा माना जाता है। इसलिए कुछ संस्थाएं यह प्रयास करती रहती है, कि यह सामाजिक रिष्ते बदलें नहीं। यह संस्थाएं एक विषेष ढांचा है इसमें भी कई सारे छोटे–छोटे ढांचे है। इन ढांचे में राज्य बाजार, समुदाय और परिवार प्रमुख है।

वनिता ने अपने अनुभवों को रखते हुए कहा कि जेण्डर और आजीविका पर हमने जो काम किया है उसमें दिखता है कि हमारे दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। हम ज्यादातर परियोजना केन्द्रित होते है। हम व्यावाहिक होने की बात करते है तो समझते है कि कहीं दूर दिखता है कि ढांचों में बदलाव आ जाऐगा, किन्तु आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। स्वयंसेवी संस्थाओं में ज्यादातर पुरूष प्रमुख है क्योंकि महिलाओं को हम घर में रखते है। जब हम परियोजना केन्द्रित होते है तो यह मान बैठते है कि हमें जो कुछ बदलाव लाना है वह हमसे बाहर है हमें खुद में कोई बदलाव नहीं लाना है। इसलिए परियोजना के लक्ष्यों को पाने के लिए हम पूरा प्रयास करते है पर इससे ढांचों में क्या परिवर्तन आएगा इस पर कोई ध्यान नहीं देता। हम ढांचों को ध्यान में रखकर अपनी गतिविधियां कैसे चलाये जिससे परिवर्तन हो सके यह हमें सोचना है।

रानू भोगल ने कहा कि पैक्स में हमने अवधारणा के रूप में जेण्डर मुद्दे का समर्थन किया था, पर हमारी समझ इन मुद्दों पर नहीं बन पायी है। हम अपने पैक्स कार्यक्रम में भी इसे एक लक्ष्य की तरह मान कर चलते हैं। मालिनी ने इस बात पर जोर दिया कि जेण्डर की व्यवहारिक जरूरतों को कई बार परियोजनाओं में शामिल कर लिया जाता है महिलाओं के व्यवहारिक जरूरते भी है, पर ढांचागत बदलाव पर भी प्रयास करने की जरूरत है।

प्रस्तुतिकरण के बाद प्रतिभागियों की ओर से सवाल किये गये। पूछा गया कि आज के युग में आदमी और औरत दोनों मिलकर काम करते है, ऐसा होना कहां तक जेण्डर की सफलता है। इस ढांचे में धर्म ओर विष्वास कहां पर आता है। जेण्डर की आसान परिभाषा क्या होगी ?

सुश्री मालिनीने इन प्रष्नों पर कहा कि धर्म, संस्कृति, विष्वास आदि इस ढांचें में समुदाय के अन्दर शायद समाहित है। महिला पुरुष पहले से ही मिल कर काम करते रहे हैं। पहले भी महिलाएं जंगल, खेत में काम करती थी आज आफिस में काम करती है। पर इससे उनके सामाजिक रिष्ते में बदलाव नहीं आ पाया है। इन ढांचो के आगे भी कुछ पहलू हैं, जो सामाजिक रिष्ते को गहरा करते है।

सुश्री वनिताने कहा कि बाजार जेण्डर को समझता है और महिलाओं के साथ भेदभाव बरतता है। व्यापार अभी भी पुरुषों के आधिपत्य में है। ज्यादातर महिलाएं जो व्यापार में है वह मध्यवर्ग की है इसमें भी जो महिलाएं शामिल है वह अपनी व्यहारिक जरूरतों पर ही सीमित होती है। इससे ढांचागत बदलाव नहीं आ पाता है। हमें यह समझकर आजीविका और जेण्डर पर बात करते हैं तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखें।

सवाल उठाया गया कि जेण्डर में स्त्री पुरुष रिष्ता एक पक्ष हो सकता है बाजार में हम देखते हैं कि गरीब दलित के साथ भी ऐसा ही होता है। स्वयं सहायता समूह ने बाजार में अपनी दुकान लगाई तो ठेकेदार ने महिलाओं से ज्यादा टैक्स लिया इस पर महिलाओं ने विरोध किया तो उसे बाजार का नियम बताकर चुप करा दिया गया। इस पर पंचायत में बात की गई तो बराबर टैक्स लिया गया। यहीं जानकारी के अभाव का सवाल आता है।

यह भी सवाल उठाया गया कि जब भी जेण्डर की बात आती है तो महिलाए ही क्यों बोलती है। हम इस मुद्दे पर संवेदित है और समझते भी हैं कि बदलाव खुद से शुरू होगा। क्या हम कोई नीति बना सकते है कि आज से ऐसा करेगे। हमारा पुरूष आधिपत्य का जो बाजार है उसमें महिलाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जिससे महिलाएं वेष्यावृति के लिए विवष है। क्या उनके लिए रणनीति बनायी जा सकती है।

एक प्रतिभागी ने कहा कि जेण्डर के मामलों में पॉवर एक key word है। जेण्डर पर बहुत काम की जरूरत है। जहां–जहां काम हुआ है वहां बदलाव हुआ है। इसमें ज्यादा समय और संसाधन लगाने की जरूरत है। मुझे विष्वास है कि सही ढंग से काम करें तो बदलाव संभव है। पुरूष अंदर से डरता है कि बराबरी की स्थिति में उसका क्या होगा इस डर पर खुल कर बात करने की जरूरत है।

जो संस्थाएं जेण्डर पर काम करती है वह पुरूषों को स्वीकार ही नहीं करना चाहती। जो नेटवर्किंग महिलाओं द्वारा किया जाता है वे ज्यादा सफल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसं पर सुश्री वनिता ने कहा कि पुरुष महिलाओं के मुद्दों पर काम नहीं करते क्योंकि उनका इसमें सीधा हित नहीं दिखता कोई पुरुष इस पर काम करना चाहता है तो उसका स्वागत है। महिलाओं की क्षमता को समझना होगा उनमें प्रबंधकीय क्षमता ज्यादा होती है जिसे ज्यादातर जगहों पर नकारा जाता है।

मालिनी का कहना था कि ज्यादातर संस्थाएं पुरुष नेतृत्व में चलती है। यह स्पष्ट है कि सामाजिक रिष्ते में ज्यादातर पीड़ित महिलाएं ही होती है। महिलाओं के सवाल के साथ दलित आदिवासी महिलाओं के मुद्दे को सामने नहीं रखा गया, यह महिला आंदोलन की एक बड़ी कमी रही है। पर यह भी सच है कि महिला अगर नेतृत्व की भूमिका में है तो उसे पुरुष की तरह काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। महिला समूह बनने की एक राजनीति है जिसमें यह माना जाता है कि महिलाएं जल्दी एकत्र हो जाती है और उन पर विष्वास किया जा सकता है। समाज के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक संस्थाओं पर पितृसत्तात्मकता हावी है। यह परिवार और धर्म पर भी हावी है। हमारी न्याय व्यवस्था में पितृसत्तात्मकता हावी है। शैक्षिणक संस्थाएं, मीडिया भी पितृसत्तात्मक है पूरा नॉलेज सिस्टम भी पितृसत्तातमक है।

मालिनी ने आगे कहा कि पितृसत्तात्मकता ने महिलाओं के श्रम को, सेक्सुएलीटी को, उत्पादकता/पुर्नउत्पादकता, गतिषीलता आर्थिक संसाधनों को नियंत्रित किया है। जहां तक महिलाओं की सुरक्षा का प्रष्न है पुरूष को यह अधिकार किसने दिया कि वह महिलाओं की सुरक्षा करें। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले में महिलाएं ही ज्यादा खोती है। हम कोषिष करते हैं कि महिलाएं घर के बाहर न जाएं, हमारा ध्यान बाहर का माहौल सुरक्षित बनाने पर क्यों नहीं होता। हम स्वयं सेवी संस्थाओं में महिला की सुरक्षा के लिए अपनी संस्था की महिलाओं की क्षमतावृद्धि कर सकते है, जिससे उनकी गतिषीलता बढ़ सके। उनके वेतनमान में बदलाव किया जा सके जिससे

उनकी क्षमताओं पर ज्यादा खर्च किया जा सके। मालिनी ने कहा कि यदि हम महिलाओं के समूह तक ही सीमित है तो यह स्पष्ट है कि वह क्यों बनाया गया है। यदि वह अपने सामाजिक रिष्ते पर भी बात करती है तो यह ज्यादा अच्छा है।

सत्र का समापन करते हुए रानू भोगल ने कहा कि जेण्डर के बारे में बहुत सारे सवाल है मुझे लगता है इसमें दो–तीन कार्यषालाओं की श्रृंखला चलाने की जरूरत है। हमारा महिला सषक्तिकरण के बारे में विजन होना चाहिए इसमें जब भी हम महिला को उद्योग/व्यवसाय में जोड़ते है तो यह ध्यान रखें की उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसे महिला सषक्तिकरण के एकीकृत विजन के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है।

विषय– सूचना का अधिकार

सत्र 1– सूचना का अधिकार अधिनियम

स्रोत व्यक्ति– व्यंकटेश नायक, सी एच आर आई

इस सत्र के सहजकर्ता थे डा. योगेशकुमार। व्यंकटेश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सूचना का अधिकार कितना जरूरी है और इस बारे में सरकारों का क्या सोच है। असल में कुछ संवेदनशील अधिकारियों के कारण सूचना के अधिकार के बारे में सरकार में गंभीरता से सोचा गया। यह बिल पास होकर कानून बन गया है और 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो जायेगा। इस बीच विभिन्न सरकारें इस कानून के अन्तर्गत नियम आदि जारी करेंगी। व्यंकटेश ने योजना के पूर्व सदस्य आबिद हुसैन का एक उद्धरण प्रस्तुत किया– ''आर्थिक व सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिये संसाधनों की कमी कोई बड़ी विशेषता नहीं है, बल्कि सरकार की असफलता ही इसके लिये जिम्मेदार है।'' असल में स्वविवेक से निर्णय के अधिकार के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम के आधार पर जो नियम बने हैं उनमें से कई भ्रामक हैं।

व्यंकटेश ने अपनी बात को चार बिन्दुओं में रखा–

- सुशासन का मतलब क्या है?,
- सुशासन और सूचना का अधिकार,
- भारत में सूचना के अधिकार की स्थिति और
- सूचना का अधिकार क्या है।

व्यंकटेश ने बहुत विस्तार से इस अधिनियम के बारे में जानकारी दी और बताया कि नौकरशाही में इस कानून के कारण बहुत चिन्ता है क्योंकि इससे सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार की पोलें खुलना शुरू होंगी। असल में भ्रष्टाचार को रोकने का यही एक कारगर उपाय प्रतीत होता है, इसलिये हमें चाहिये कि इस अधिकार का जमकर उपयोग करें। उपयोग 12 अक्टूबर 2005 से ही संभव होगा क्योंकि अभी इसके नियम बनना बाकी हैं। इस अधिनियम में कहा गया है कि सूचना देने में जो अधिकारी विलम्ब करेंगे उन्हें दण्ड दिया जायेगा। यह प्रावधान किया गया है वह अच्छा कदम है और इससे अधिकारियों की टालमटूली पर अंकुश लगेगा।

मजदूर किसान संगठन, जयपुर की प्रीति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार सूचना के अधिकार की लड़ाई राजस्थान में शुरू हुई और इसमें किस प्रकार सफलता मिली। किस प्रकार वहां

जनसुनवाई की गयी और पत्रकार, वकील और अधिकारी सबको उससे जोड़कर निर्माण कार्य में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया। इसके बाद सरकार पर लगातार दबाव बनाने पर अधिनियम का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम जनता के संघर्ष का परिणाम है और यह देश में अपने तरह का पहला उदाहरण है। इस संबंध में प्रतिभागियों की बहुत सी जिज्ञासाएं थीं और उन्होने कई सवाल पूछे।

प्रीति ने आशंका जाहिर की कि यह हो सकता है कि सरकार कानून से संबंधित ऐसे नियम बनाये कि लोग इसका ज्यदा उपयोग न कर पायें। जैसे वह इसकी फीस ज्यादा रख सकती है, फोटोकापी का शुल्क ज्यादा कर सकते हैं।

प्रतिभागियों में से जब बहुत से सवाल उठे तो यह सुझाव आया कि अधिनियम लागू होने के बाद हम उसका उपयोग करें और उसके बाद सवाल उठायें। अभी सैद्धान्तिक चर्चा करना उपयोगी नहीं है।

सहजकर्ता डा. योगेशकुमार ने सत्र के अन्त में कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने में यह कानून उपयोगी होगा। सरकार ही क्यों यह तो ॅब्े पर भी लागू होना चाहिये।

<u>सत्र 2— आजीविका : सूचना तकनालाजी और संचार की भूमिका</u>

स्रोत व्यक्ति— 1. श्री सुवेश के. सुरेश ITC Ltd.
2. श्री राकेश अग्रवाल, NCDEX

आज का अंतिम सत्र आजीविका में सूचना तकनीक व संचार की भूमिका के बारें में था। इस सत्र में हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक श्री असकरी जैदी, आई.टी.सी. के सुवेष के. सुरेष, और छब्क्म्ग के ओ. पी. अग्रवाल शामिल थे सत्र में सहजकर्ता के रूप में समर्थन के डा. योगेष कुमार शामिल थे। इस सत्र के दौरान आई टी सी के ई चौपाल के कामों को '' मिषन सुनहरा कल '' के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया गया कि कैसे गॉव के किसान कम्प्युटर और इन्टरनेट के माध्यम से जानकारियां जुटा कर अपनी फसल का सही दाम ले सकते है और खेती बाड़ी को बेहतर बना सकते है।

इसी सत्र में श्री ओ. पी. अग्रवाल ने NCDEX के वायदा कारोबार के बारे में बताया कि किसान कैसे इससे अपनी फसल का सही मूल्य ले सकते हैं। अपने प्रस्तुतिकरण में श्री अग्रवाल ने NCDEX का परिचय देते हुए कहा कि यह प्रयास देष के कई सारे बैंको यथा नाबार्ड, आई. सी. आई. सी. आई., इफ्को, N.S.E. , CRISIL , L.I.C. केनरा बैंक तथा पंजाब नेषनल बैंक आदि के साझें रुप से चलाया जा रहा है। इसमें बैंक ऑफ इण्डिया, कारपोरेषन बैंक, H.D.F.C. , वैष्य बैंक आदि ने रुची दिखाई है। उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों को निम्न फायदे मिल सकते हैं —

- किसान आज की कीमत में भविष्य में पैदा होने वाले उत्पाद को बेच सकते है।
- किसान की फसल का नगद भुगतान किया जाएगा।
- गरीबों के लिए सुनिष्चित आय होगी।
- किसानों को अपनी फसल रखने की सुविधा मिलेगी ताकि वे भविष्य में सही कीमत पर बेच सके।
- इससे उन्हें मिलने वाली कीमतों में बढोत्तरी होगी।

- भविष्य में तय कीमत की वजह से किसान मॅग आधारित फसल ले सकेंगे।
- NCDEX द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधा के बारे में उन्होंने कहा कि
- इसमें किसानों को सही कीमत हम देगें।
- कीमतों में उतार – चढ़ाव के खतरे को कवर करेगें।
- उत्पाद को बाजार से जोड़नें में मदद करेगें।
- फसल रखने के लिए गोदाम की व्यवस्था करेगें।
- बाजार से जुड़ाव के लिए बैक, नबार्ड फारवर्ड लिंकेज स्थापित करेगें।
- ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराएंगे।
- बाजार तक उत्पाद को ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करेगें।

इस प्रस्तुतिकरण के बाद कई प्रतिभागियों ने NCDEX के बारे में और जयादा जानने की इच्छा प्रकट कीं। उनसें कहा गया कि जो भी ज्यादा जानकारी चाहते हों वे श्री ओ. पी. अग्रवाल से अलग से बात कर सकते हैं ।

इसी सत्र में हिन्दुस्तान टाइम्स के स्थानीय संपादक श्री असकरी जैदी ने स्वयंसेवी संस्थाओं को अपने मुद्दों के लिए मीडिया के उपयोग पर कुछ टिप्स दिये। उन्होंने कहा कि मीडिया टी.वी चैनल अखबार के जरीए कैसे आप अपने काम को प्रभावी बना सकते है, यह आपको सोचना है। अखबार देष के कई कोनों से छपता है। हिन्दी अखबारों का भी इधर के वर्षो में बहुत विस्तार हुआ है। कई अखबारों ने जिले स्तर पर अपना ब्यूरो खोला है। कई टी.वी. चैनल ने भी अपने प्रतिनिधि जिला केन्दों पर बिठाए है। हमें अपनी बात जिन तक पहुचना है उसके हिसाब से सन्दर्भ व्यक्ति ढूंढ़ सकते है। हर माध्यम में ऐसे लोग जकर मिल जाएंगे जो सामाजिक मुद्दों पर मदद करने के लिए तैयार हैं। हम इनको तलाष कर अपनी बात आगे बढ़ा सकते है।

इसकी रणनीति के बारे में उन्होंने कहा कि हम इन सभी रिपोर्टर्स की सूची फोन नं. ईमेल इकठ्ठा करके इनके सम्पर्क में रह सकते है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे सम्पर्क में बाद भी हमारा समाचार नहीं आ पाता। इसमें निराष होने की जरूरत नहीं है। समाचार माध्यम अपना व्यापार कर रहे है। उनका उद्देष्य सामाजिक परिवर्तन से ज्यादा अपने व्यापार को बढ़ाना है। हम उनसे लाभ कैसे उठा सकते है, यह हमारे लिए सोचने की बात है। साथ ही हम यह समझें की इन माध्यमों में सीमित स्थान होता है।

इस प्रस्तुतिकरण के बाद तीनों वक्ताओं से लोगों ने कुछ सवाल किए जिनका समाधान वक्ताओं ने किया। इन सवालों के जबाव में निम्न जानकारियां दी गईं –

सुवेष के सुरेष ने कहा कि बुन्देलखंड में अभी आई. टी. सी. का विस्तार नहीं है। जब हम वहां जायंगे तो सक्षम स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ रिष्ते बनायेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस ई सुविधा से किसानों को पहले से बाजार/मण्डी का भाव मालूम होगा जिसके आधार पर वह निर्णय लेगा की उसे मंडी जाना है या नहीं। आई. टी. सी. सेन्टर का एक बड़ा फायदा यह है कि यहॉ से किसानों को सही तौल व दाम मिल सकेगा।

श्री असकरी जैदी से सवाल किया गया कि यदि अखबार को बाजार नियंत्रित करता है तो उसकी सामाजिक जिम्मेदारी क्या बचती है? इस पर उनका कहना था कि अखबार निकालने में जो उघोगपति अपना पैसा लगाता है वह तो अपना फायदा ही देखता है। पर यह भी एक पक्ष है कि

बगैर सामाजिक सरोकार के अखबार बिक नहीं सकता। उसमें तो सभी चीजें होनी चाहिए जो पाठकों को पसन्द हो। इसलिए अखबार का स्वरूप ऐसा रखा जाता है जिसमें सभी वर्ग के पाठकां को कुछ मिलें।

इस चर्चा के बाद सहजकर्ता डा. योगेष कुमार ने सभी अतिथि वक्ताओं का धन्यवाद किया और सत्र समाप्त को किया गया।

<u>सत्र 3– सरकारी योजनाएं और आजीविका</u>

स्रोत व्यक्ति– 3. श्री वसीम अख्तर, सचिव ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

इस सत्र में मध्यप्रदेश के ग्रामीणविकास विभाग के सचिव श्री वसीम अख्तर ने सरकारी योजनाओं के संदर्भ में कहा कि सूचना का अधिकार आने पर जनता को जानकारियां मिलेंगी और सरकार का काम भी चुस्त होगा। ग्रामीण विकास विभाग की उन योजनाओं का विवरण दिया जिनका संबंध गांवों के विकास और आजीविका से है–

1.गांवों को सड़कों से जोड़ना 2. क्षेत्र विकास– रिज टु वैली 3.माइक्रो एन्टरप्राइज 4.मध्यान्ह भोजन, 5. गोकुल ग्राम, 6 इन्दिरा आवास योजना, 7. पंच ज 8. भोपाल हाट

प्रतिभागियों ने जानना चाहा कि विभाग के काम में और गांव की योजनाओं में एन जी ओ का जुड़ाव किस प्रकार बढ़ सकता है? श्री अख्तर ने उन योजनाओं की जानकारी दी जिससे ऐसी भागीदारी हो सकती है। उन्होंने बताया कि सरकार की कई योजनाओं में उन्हें एन जी ओ का अच्छा सहयोग मिला है। उन्होंने आग्रह किया कि एन जी ओ जिला प्रशासन के सम्पर्क में रहें तो प्रशासन और एन जी ओ मिलकर उपयोगी भूमिका अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डी पी आई पी में जो कामन इन्टरेस्टस ग्रुप याने CIG हैं वे से अलग हैं। जबकि CIG में एक ही वर्ग के लोग होते हैं, SHGs में सभी शामिल हो सकते हैं।

श्री वसीम ने बताया कि सरकार चाहती है कि मध्यान्ह भोजन का काम SHGs के जरिये हो। उन्होंने यह स्वीकार किया कि BPL सूची में कमी है। इसके लिये रास्ते तलाशे गये हैं। SGSY ग्रामीणों के लिये बहुत उपयोगी है। यह योजना मजबूत है। क्रियान्वय में चाहे कमजोरी हो सकती हैं। चूंकि इन सरकारी योजनाओं की जानकारी CSOs को है, इसलिये कोई खास सवाल नहीं पूछे गये।

31 अगस्त 2005

Peer Learning Workshop (PLW)

<u>सत्र 1– विकलांगता और आजीविका</u>

स्रोत व्यक्ति– अमोद खन्ना, ताल, भोपाल

अमोद खन्ना ने इस बात से अपनी बात शुरू की कि देश में करीब 5 फीसदी आबादी किसी न किसी रूप में विकलांग है और मध्यप्रदेश में तो इनकी तादाद प्रदेश की कुल आबादी का 8 फीसदी है। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं के मुद्दे पर अलग सत्र हो रहा है तो विकलांगों पर भी अलग से सत्र हो सकता है। हमें यह देखना है कि PACS में विकलांगता की बात क्यों हो रही है और उसके

आयाम क्या हैं। जो पोजीशन पेपर बनने वाला है उसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं। इस बारे में उन्होंने प्रतिभागियों की राय जानना चाहा।

फादर सूसई ने कहा कि हमारी संस्था विकलांगों में बहुत समय से काम कर रही है और विकलांगों की सेवा करना बहुत कठिन काम है। यह कठिन काम PACS के साथी कैसे कर पायेंगे? यह चर्चा हुई कि जब सबसे गरीब परिवार की तलाश की जाती है तो उसमें वे लोग भी आते हैं जो आजीविका नहीं कमा सकते। इनमें विकलांग भी होते हैं। विकलांग को तो आजीविका कमाने के मौके भी नहीं मिलते।

सुझाव आया कि विकलांगों के अलग समूह बनाकर काम किया जाये और सरकारी सुविधाओं का लाभ उन्हें दिलाया जाये। कुछ लोग इससे सहमत नहीं थे और उनका ख्याल था कि विकलांगों को अलग से न देखकर सभी गरीबों को साथ लें। जो गरीब विकलांग हैं, वे भी इसमें आ जायेंगे। ऐसा महसूस किया गया कि विकलांग ज्यादा दिख नहीं पाते क्योंकि एक तो वे विकलांग होने के कारण अपने ही घरों में उपेक्षित से होते हैं और उनके बारे उनके घर के लोग चर्चा करने से भी कतराते हैं। इसलिये यह जरूरी है कि जब गरीबों को तलाशें तो विकलांगों को खास तौर से ढूंढ़ें। जल्दी उनकी तलाश होगी तो जल्दी उनका पुनर्वास हो सकेगा। मुश्किल यह है कि विकलांगों पर इतना कम काम हो रहा है कि सरकारी धन उन पर पूरी तरह से खर्च नहीं हो पा रहा है।

गायत्री देवी ने कहा कि विकलांग को तो समाज में अवसर कम मिलते हैं, पर महिला विकलांग को तो सबसे कम अवसर मिलते हैं। अगर यह पूछा जाय कि समाज में सबसे गरीब कौन है तो उसका जवाब होगा– अनसूचित जाति या जनजाति की विधवा विकलांग महिला से गरीब कोई नहीं होता।

हलके भाई सेन ने बताया कि विकलांगों को अपना पहचानपत्र बनवाने में काफी मुश्किल होती है। हमें चाहिये कि हम विकलांगों के पहचानपत्र बनाने में मदद करें। पहचानपत्र बनेगा तभी उसे सरकारी सुविधाएं मिल पायेंगी। पहचानपत्र बनवाने के लिये एक अभियान छेड़ा जना चाहिये। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि विकलांगों को सरकार बहुत सी सुविधाएं देती है। अमोद ने बताया कि कमिश्नर विकलांगता को शिकायत है कि विकलांगों के पास पहचानपत्र नहीं होने के कारण सरकारी सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही हैं।

सिरडी की उपमा दीवान का कहना था कि जब विकलांगता के शिविर होते हैं तो डाक्टर खुशी से आते हैं और सहयोग करते हैं। हमें चाहिये कि हम विकलांगों के लिये शिविर आयोजित करें। रेखा गुजरे ने बताया कि उन्होंने जिला स्तर पर विकलांगों के लिये सर्वेक्षण किया था पर हमारे काम में और विकलांगता के सरकारी मापदण्डों में अन्तर होने से ज्यादा फायदा नहीं हुआ। सरकारी मापदण्डों के अनुसार 40 फीसदी से ज्यादा विकलांगता पर ही सरकारी सहायता मिलती है। विकलांगता पर काम करने के पहले हमें सरकारी मापदण्डों की जानकारी होना चाहिये।

ऐसा महसूस किया गया कि CSOs के पास उन संस्थाओं की जानकारी होना चाहिये जो विकलांगों का इलाज या पुनर्वास करते हैं। इसके अलावा परिवारों में विकलांग के प्रति संवेदनशीलता भी लाना चाहिये। एक बात यह भी है कि गरीब परिवार विकलांगों के लिये सरकारी लाभ पाने की कोशिश भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास समय नहीं है और ठीक जानकारी भी नहीं है।

यह अनुभव किया गया कि हम लोग विकलांगों के बारे में रहम और दया के भाव से बात कर रहे हैं। असल में उनका सशक्तिकरण करना होगा। सिर्फ पहचान पत्र बनवाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके प्रति परिवार और समाज का नजरिया बदलने के लिये काम करना होगा और उनके पुनर्वास की कारगर कोशिश भी करना होगा। यह बात भी है कि यदि उनका अलग समूह बनाकर काम करेंगे तो उनका सशक्तिकरण कम होगा, सबके साथ काम करने से वे मुख्य धारा में आयेंगे और सबके बराबर खुद को समझने की कोशिश करेंगे। यह भी ध्यान रखना है कि विकलांगों के बारे में कई संस्थाएं काम कर रही हैं। उनका सहयोग लिया जा सकता है।

नेशनल वर्कशाप के लिये जो पोजीशन पेपर तैयार होना है उसका एन्कर अमोद को बनाया गया और उनके सहयोग के लिये हर रीजन से लोग लिये गये जो इस प्रकार हैं– शहाब सैयद, एस के सिंग, सन्तोश, राजू और ज्योति, फादर सूसई। इस समूह में विकलांगों पर काम करने वाली भोपाल की संस्थाओं को भी शामिल करना ठीक समझा गया, जैसे आरुषि, कन्सर्ड एक्शन, सबला, आदि।

<u>सत्र 2– विदेषी अनुदान (प्रबंधन व नियत्रंण) विघेयक, 2005</u>

स्रोत व्यक्ति– अजय गुप्ता, वानी, भोपाल

इस सत्र के सहजकर्ता थे डा. योगेशकुमार

दूसरे सत्र में विदेषी अनुदान (प्रबंधन व नियत्रंण) विघेयक पर चर्चा की गई । इस चर्चा को वाणी (वालेन्ट्री एक्षन इण्डिया नेअवर्क) के स्थानीय प्रतिनिधि श्री अजय गुप्ता ने प्रस्तुत किया। श्री गुप्ता ने अपने प्रस्तुतिकरण में कहा कि केन्द्र सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलने वाले विदेषी अनुदान को नियंत्रित करने के लिए एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। विदेषी अनुदान (प्रबंधन व नियत्रंण) विघेयक 2005 के नाम से प्रस्तावित इस विधेयक के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनसे संस्थाओं पर कई सारी बेदिषे लग सकती हैं और उनके स्वैच्छिक स्वरूप के लिए खतरा हो सकता है। प्रस्तावित विधेयक के पीछे गृह मंत्रालय के तर्क पर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय का कहना है कि ''स्वयंसेवी संस्थाओं के उपर नियत्रंक प्रणाली नहीं है। न ही इनके जवाबदेही को तय किया गया है। साथ ही संस्थाओं के लिए कोई नीति नहीं है, इससे कागजी संस्थाएं भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर विधेयक की आवष्यकता है, जिस वजह से यह विधेयक लाया जा रहा है।

प्रस्तावित विधेयक के कुछ प्रावधानों पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इस विधेयक में कहा गया है कि –

- विदेषी अनुदान से कोई संस्था यदि स्थाई परिसम्पति बनाती है तो उससे होने वाली आय को भी विदेषी अनुदान के तहत ही माना जाएगा।
- विदेषी अनुदान से प्राप्त बैंक का ब्याज भी विदेषी अनुदान के तहत ही माना जाएगा।
- किसी संस्था को विदेषी अनुदान के तहत मिलने वाले धन का 30 प्रतिषत से अधिक हिस्सा प्रषासनिक मदों में खर्च नहीं किया जा सकेगा।

- पूर्व में इस तरह के साम्य रखने वाले नियम F.C.R.A. के तहत पंजीकृत संस्थाओं को भी इस अधिनियम के अनुसार अपना पुनः पंजीयन कराना होगा।
- किसी भी संस्था का पंजीयन केवल 5 वर्ष के लिए ही वैध होगा। प्रत्एक 5 वर्ष बाद संस्था को अपने पंजीयन का नवीनीकरण कराना होगा।
- किसी संस्था के पंजीयन को यदि एक बार किसी कारण से निरस्त्र कर दिया जाता है तो वह अगले 3 वर्ष तक नया आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकती।
- पंजीयन के लिए अधिकृत संस्थान किसी भी संस्था का पंजीयन निरस्त कर सकती है। सरकार के पास भी यह अधिकार होगा कि वह किसी संस्था का पंजीयन निरस्त्र कर सके।
- इस विधेयक के अनुसार किसी संस्था के विरुद्व जॉच के लिए निहित अधिकारी के पास वह सभी शक्तियां होगीं जो किसी थाने के थानेदार के पास होती हैं।

इस प्रस्तुतिकरण पर चर्चा में सभी का मत था कि इस प्रकार से विधेयक लाकर सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं के आवाज को दबाना चाहती है। इस बारें में अधिकांष लोगों को जानकारी नहीं थी, इसलिए कहा गया कि वेब साईट पर उपलब्ध विधेयक को देखकर लोग अपनी टिप्पणी दें। श्री अजय गुप्ता ने जानकारी दी कि वाणी राष्ट्रीय स्तर पर इस विधेयक के विरोध में अभियान चला रहा है। अतः हम सभी मिलकर उस अभियान में भागीदारी करें।

<u>सत्र 3– प्राकृतिक संसाधन स्रोतों के जरिये आजीविका</u>

स्रोत व्यक्ति– 1. मनजीतसिंह सलूजा, डेवलपमेन्ट आलटरनेटिव ;क।द्ध भोपाल
2. श्री उदित माथु,र, डेव. आल.. भोपाल

मनजीतसिंह सलूजा ने बताया कि DA मुनाफा न कमाने वाली संस्था है और इसका मिशन है– समुदाय को सशक्त करना, पर्यावरण को स्वच्छ बाना और लोगों के लिये आय के नये स्रोत तलाशना।

उन्होंने बताया कि विश्व का तापमान बढ़ रहा है उससे हम ग्रीन हाउस को लिंक करने की कोशिश कर रहे है। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में क्योटो प्रोटोकल में काफी चर्चा हुई थी। DA ने इस समस्या के हल के लिये Clean Development Mechanism- CDM की अवधारण विकसित की है। यह सब जानते हैं कि विकसित देश ग्रीन हाउस गैसों को ज्यादा पैदा करते हैं और उसे रोकने की तकनालाजी बहुत मंहगी होती है। इस कारण विकसित देशों से ग्रीन हाउस गैसें ज्यादा बनती रहेंगी। जहां तक विकासशील देशों का प्रश्न है वे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें नहीं बनाते और उनके पास प्राकृतिक संसाधन भी काफी हैं। तो पृथ्वी में यदि ग्रीन हाउस गैसों के निकलने के दुष्परिणामों को रोकना है तो इसके लिये विकासशील देशों की भूमिका को पहचानना होगा। विकसित देशों का कहना है कि वे ग्रीन हाउस गैसें पैदा कर रहे हैं तो वातावरण में जाने वाली कार्बन डाइ आक्साइड कम करने के लिये वे विकासशील देशों को पैसा देकर कहेंगे कि विकासशील देश जैविक खाद का उपयोग करके खेती करें और वातावरण की कार्बन डाइ आक्साइड को कम करने में सहायता करें। इसके अलावा बरबाद हुए जंगलों को भी पुनर्जीवित करके कार्बन डाइ आक्साइड कम

की जा सकती है। इन कामों के लिये विकसित देश किसानों को और लोगों को मुआवजा देंगे, जिसे Carbon Credit कहा गया है।

मनजीतसिंह ने बताया कि व। इसी काम को आगे बढ़ा रहा है। इसके लिये ने टीकमगढ़ जिले के निवाली में 1000 किसानों को जैव खेती करने के लिये प्रोत्साहित किया है जिससे जमीन की उत्पादकता बनी रहे और आजीविका भी मिले। इसके लिये रासायनिक खाद के बदले जैविक खाद का इस्तेमाल करना होता है। DA ने 230 हेक्टेयर के वीरान पहाड़ के कटे पेड़ों की जड़ों की रक्षा करके, मिट्टी का संरक्षण करके और चराई रोककर वहां वनस्पतियों को पुनर्जीवित होने दिया और 13 साल में वहां बढ़िया जंगल विकसित हो गया। उन्होंने उदाहरणा दिया कि यदि 40 हेक्टैयर में ऐसा संरक्षण किया जाता है तो उसकी CDM क्षमता इतनी हो जायेगी कि उससे Carbon Credit के जरिये सालाना साढ़े चार लाख रुपये मिल सकते हैं। इसी प्रकार त्रिपुरा में एक हजार हेक्टेयर के इलाके में वन संरक्षण किया गया तो उससे आगामी दस साल तक 95 लाख रुपये सालाना मिल रहा है।

ये तो हुए बड़े पैमाने के उदाहरण। यदि इस अवधारणा को छोटे पैमाने पर सहरिया आदिवासियों के लिये लागू की जाये तो 2 हेक्टेयर में जैविक खाद के जरिये खेती करने पर उसकी क्षमता दस साल तक तीन हजार रुपये सालाना पाने की हो जायेगी। इसका उपयोग सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में ही नहीं, बल्कि उ़द्योगों में भी किया जा रहा है।

जब व। की इस योजना की मंशा पर कई सवाल उठाये गये तो श्री मनजीतसिंह ने शंकाओं का समाधान करते हुए बताया कि हर नयी चीज के प्रति पहले शक तो होता है। पर इस योजना के पीछे कोई छुपी हुई मंशा नही है। इस योजना में किसानों का भूमि पर स्वामित्व बना रहेगा। इसके लिये किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी से धन नहीं आता और न यह किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी का जाल है। इसके लिये विकसित देश भारत सरकार को धन देते हैं जो DA के जरिये खर्च किया जा रहा है।

इसके बाद श्री उदित माथुर ने बताया कि जिसकी भी इसमें रुचि हो, वह DA के साथ मिलकर अपने इलाके में काम को आगे बढ़ा सकता है।

सत्र 4– समूह चर्चा

पिछली शाम को विभिन्न रीजन के प्रतिभागियों से आग्रह किया गया था कि वे अपने समूहों में आगामी योजना की चर्चा कर लें और उसे दूसरे दिन प्रस्तुत करें। चर्चा इन बिन्दुओं पर होना है–

- आजीविका के क्षेत्र
- क्षमता निर्माण और प्राप्त किये जाने वाले अवसर
- अवसर
- ठोस योजना

चूंकि कुछ समूह यह काम नहीं कर पाये थे इसलिये प्रतिभागियों से कहा गया कि वे रीजन के अनुसार समूह बनाकर काम पूरा कर लें और प्रस्तुतिकरण करें। दोपहर भोजन के पहले समूहों की चर्चा हुई और भोजन के बाद सभी रीजन के प्रस्तुतिकरण हुए।

सत्र 5– समूहों का प्रस्तुतिकरण

बुन्देलखण्ड रीजन

संभव, ग्वालियर के डा. एस. के. सिंह ने बुन्देलखण्ड रीजन की ओर से समूह चर्चा का प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने बताया कि वे आजीविका के लिये शिल्पियों, मछलीपालन, महुआ, बेर, आंवला के उत्पादन, मवेशियों, जलस्रोतों खासकर तालाबों के संरक्षण, छोटे किसानों के खेतों की पैदावार बढ़ाने और सब्जी खासकर अरवी, अदरक और सिंघाड़ा पर ध्यान केन्द्रित करेंगे।

क्षमता निर्माण के लिये बाजार, तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण, ऋण, नेटवर्किंग, लघु उद्यम, SHGs और अन्य समूहों के संघ बनायेंगे।

इन सारे कामों के लिये इलाके में अवसर भी हैं, जैसे वहां SHGs हैं, पर्यटन मार्ग और सड़कें हैं, DPIP वाले जिले हैं, PACS का सहयोग हमें मिल सकता है, गरीबी हटाने से संबंधित कई योजनाएं हैं, ये जिले सरकारी एजेण्डा में भी हैं और नबार्ड तथा बैंकों से सहयोग भी मिल सकता है, उस क्षेत्र में CSOs का एक फोरम भी है।

काम की ठोस योजना के बारे में श्री सिंह ने बताया कि पहले आजीविका के संसाधनों के बारे में आंकड़े जमा किये जायेंगे। उत्पादन और बाजार का सर्वेक्षण किया जाएगा, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, नेटवर्किंग की जाएगी, SHGs को सशक्त बनाया जायेगा, कर्मचारियों का एक्सपोजर किया जाएगा, मिल्क रूट बनाया जायेगा और जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

इस बात पर चर्चा हुई कि ऊपर जो योजनाएं बतायी गयी हैं उन्हें बुन्देलखण्ड रीजन के कौन से CSOs हाथ में लेंगे? तय किया गया कि सार्थक छोटे किसानों के साथ काम करेगा, संभव शिल्पियों, खासकर बसोर और कुम्हारों के साथ काम करेगा, महिला समिति आंवला और डेयरी का काम करेगा, विकल्प सब्जी उगाने वालों के साथ काम करेगा। तय हुआ कि इस संबंध में बुन्देलखण्ड रीजन के CSOs की दो दिनों की बैठक 15 सितम्बर तक खजुराहो में होगी। इस बीच जिला स्तर पर सेकेण्डरी डाटा एकत्र किया जायेगा।

ताल को यह जिम्मेदारी दी गयी कि वह इन कामों को करने वाली अन्य संस्थाओं की जानकारी दें। इसके अलावा ताल स्रोत व्यक्तियों की व्यवस्था भी करेगा तथा आर्थिक सर्वेक्षण का फारमेट भी बनाकर देगा।

मध्यक्षेत्र रीजन

के एस एस के डा. हलकेभाई से ने मध्य मध्यप्रदेश रीजन का प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य समूह हैं लघु और सीमान्त किसान और उद्देश्य है उनकी खाद्य सुरक्षा और परिवार का स्तर बढ़ाना।

खेती में जैविक खाद का उपयोग किया जायेगा और विविध प्रकार की फसलें ली जायेंगी। मिश्रित खेती भी की जाएगी और ख्याल रखा जायेगा कि जो भी खेती की जा रही है वह टिकाऊ और और पर्याप्त पैदावार वाली हो। इस योजना में बीजों के बारे में आत्मनिर्भरता होगी और जैविक खाद का उपयोग करके तथा नमी का संरक्षण करके भूमि की गुणवत्ता बढ़ायी जाएगी।

इस योजना का क्रियान्वय करने के लिय एक्शन प्लान भी बताया गया। तय किया गया कि सितम्बर में बैतूल में साथियों का ओरियन्टेशन किया जाएगा, अक्टूबर में वर्धा और अकोला (महाराष्ट्र)

में एक्सपोजर और प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसमें 10 CSOs पार्टनर्स को युवा संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण और ओरियन्टेशन का खर्च करीब 54 हजार रुपये होगा। नवम्बर और उसके बाद अपने अपने क्षेत्र में लोग काम का फालोअप करेंगे और रिफ्रेशर और मानीटरिंग भी करेंगे। बैंक और बाजार आदि से लिंकेज का काम भी अभी से चालू कर दिया जायेगा।

महाकौषल

उद्‌देष्य

1. अनुकूल वातावरण का निर्माण
2. संसाधनों का सदृढीकरण
3. पारम्परिक खेती का पुनर्जीवन
4. क्षमता वृद्वि व कौषल विकास

गतिविधियां

1. जन जागृति अभियान / संवेदनषीलता अभियान

ग्रामसभा, पंचायत, जिला स्तर पर शासकीय विभागों के साथ ।

2. शासकीय विभागों के साथ के समन्वयन व लोगों का जुड़ाव

3. प्रर्दषनी / प्रत्याक्षिक प्रर्दषन

कम पानी में पैदा होने वाली फसलें, बाड़ी व साग वाटिका, अन्न एवं बीज कोष, N.T.F.P. व औषधिय वनस्पति, केंचुआ / जैविक खाद, कंदमूल, परम्परागत सिंचाई के साधन आदि का।

4. उत्पादक / संग्रहकों का सम्मेलन।

इसकी गतिविधियों के बारे में विस्तार से यह कहा गया कि हम परम्परागत खेती की पद्वति को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। ऐसी फसलों को लगाने के लिए किसानों का प्रोत्साहन करेंगे जिसमें कम पानी की आवष्यकता पड़ती हो। साथ ही जैविक खेती को भी बढ़ावा देंगे। जिनके पास कम भूमि है उन्हें मुर्गीपालन आदि गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जिनके पास कम जमीन है उसमें औषधीय खेती भी की जा सकती है। अनाज बैंक व बीज बैंक को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को नयी पद्वति से खेती के लिए आवष्यक क्षमता विकास की गतिविधियां चलायी जाएंगी। संसाधनों के दोहन के लिए नाबार्ड , स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना आदि कार्यक्रमों का सहारा लिया जाएगा।

समूह ने कहा कि हम अपनी क्षमताओं ंका आकलन कर रहे हैं। हम मानते हैं कि क्षमता विकास, पंचायती राज व्यवस्था का उपयोग आदि पक्षों में हम मजबूत हैं। जेण्डर,, एडवोकेसी, आदि पर हमें अभी अपनी क्षमता बनाने की जरूरत है।

इस प्रस्तुतिकरण के बाद प्रष्न किया गया कि 1965 से पूर्व जैविक खेती पर क्या आजीविका सूरक्षित थी। इसी प्रकार यह भी जानने की कोषिष की गई कि इन कार्यक्रमों के जिए बजट का क्या प्रावधान है। इस बारें में महाकौषल के साथियों ने बताया कि जैविक खेती से जो उत्पाद होगा उसे विषेष वर्ग में ज्यादा कीमत पर बेचा जाएगा। साथ ही इसके बाजार को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। जहॉ तक बजट का सवाल है हम अपने स्थानीय संस्थाओं के नेटवर्क ''सखा'' में इसकी चर्चा करेंगे।

छत्तीसगढ़

उद्देष्य

स्थानीय संसाधनों की सुरक्षा एवं विकास के साथ गरीबों की आजीविका को सुनिष्चित करना।

आजीविका के चुने गए मुद्दे

जंगल –लघु वनोपज

जमीन (जल) – कृषि, गौड़ खनिज

क्षमता वृद्विं

बाजार व्यवस्था

उत्पादों के गुणात्मक विकास

परम्परागत तकनीक , कौषल का विकास

तकनीकि उन्नयन

हस्तषिल्प को प्रेत्साहन , उन्नयन

ग्रामीण सेवाओं (रिपेयरिंग आदि)को बढ़ावा

अवसर

स्व सहायता समूहों का फैलाव,

सामुदायिक संगठनों , स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच नेटवर्किंग,

बैंकों का सहयोग,

बाजार तक पहॅूच,

मानव श्रम की प्रचुरता,

शासकीय योजनाएं ,

एडवोकेसी के अवसर

क्षेत्रीय स्तर पर रणनीति

क्षेत्रीय स्तर पर फोरम का विकास

अनुभवों का आदान प्रदान

उत्पादों का परस्पर विक्रय

कार्ययोजना निर्माण

ठोस कार्य नीति

त्रैमासिक बैठकें

प्रमुख उत्पादों व बाजार का सर्वेक्षण

ग्रामीण समूह / संगठन प्रतिनिधियों का सम्मेलन

एक्सपोजर

क्षेत्रीय फोरम का निर्माण (बिलासपुर में 15 अक्टुबर को इस प्रकार के फोरम की पहली बैठक होने वाली है।)

अन्य

लैंगिक विकास के बारे में अवधारणा

जेण्डर नीति संस्था स्तर पर बनाना।

एक गॉव की दस महिलाओं को रोजगार से जोड़ना।

निःषक्तजन / विकलांगता

500 निःषक्तों की पहचान कर उन्हें आयुक्त से मिलाना।

सूचना का अधिकार

संस्था स्तर पर तीन माह में समझ बनाना और प्रचार करना।

बाल श्रमिक

बाल श्रमिकों को षिक्षा कार्यक्रमों से जोड़ना।

अन्य गतिविधियों के बारे में कहा गया कि तकनीकी विकास के लिए काम करेंगे। परम्परागत कौषल को बढ़ावा देंगे, जिससे युवाओं को काम मिल सके और पलायन को रोका जा सके।

इस प्रस्तुतिकरण पर प्रतिभागियों ने सवाल किए कि विकलांगता पर काम करने के लिए आयुक्त से मिलने की क्या आवष्यकता हैं। इस पर छत्तीसगढ़ के साथियों ने जोड़ा कि आयुक्त से मिलना हमारे पूरे कार्यक्रम का एक हिस्सा है।

सत्र 6– फीडबैक

सहजकर्ता– अनवर जाफरी

सबसे अन्त में इस सम्मेलन के बारे में प्रतिभागियों से फीड बैक लिया गया। ज्यादातर लोगों ने अपनी राज जाहिर की। यहां उन्हें दो हिस्सों में विभाजित करके रखा जा रहा है।

<u>अनुकूल प्रतिक्रियाएं</u>–

यह बात अच्छी थी कि रीजनल वर्कशाप के निर्णयों के अनुसार इस सम्मेलन में कार्यवाही हुई। गरीबी के विभिन्न आयाम निकलकर आये। सम्मेलन की पूर्व तैयारी अच्छी थी। नये मुद्दे जोड़े गये। सूचना के अधिकार का सत्र सबसे अच्छा लगा। जमीन और पानी की समझ में बहुत इजाफा हुआ। सम्मेलन के दौरान ही कागजात और दस्तावेज उपलब्ध कराये गये यह अच्छी बात थी। पहले ऐसा नहीं होता था। पुस्तिकाएं अच्छी थीं। उद्घाटन कार्यक्रम बढ़िया था क्योंकि इसमें महिला प्रतिनिधियों को बुलाया गया। सुस्मिता ने जो केस स्टडीज छापी हैं वे बढ़िया हैं और गांवों की महिलाओं के जो फोटो छपे हैं उनसे गांव की महिलाओं को अपनी अहमियत मालूम होगी।

<u>प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं</u>–

अच्छा होता कि श्रम के सत्र में हमारे किसी साथी को भी बोलने का मौका दिया जाता। जेण्डर और सूचना के अधिकार के सत्र के लिये समय कम था। बालश्रम पर और चर्चा होना था। इसी प्रकार विकलांगों की संख्या इतनी ज्यादा है इसलिये उस पर और भी चर्चा होना थी। स्रोत व्यक्तियों से बात करने का समय कम मिला। सूचना तकनीक का सत्र उपयोगी नहीं लगा। सत्र के दौरान आयोजकों में से कुछ स्थानीय लोग आते जाते रहे यह अच्छी बात नहीं थी। तम्बाकू की कंपनी को बुलाया गया यह ठीक नहीं हुआ। इसे रोकने के लिये एक एथिकल कमेटी होना चाहिये आयोजन समूह में जिससे यह तय किया जा सके कि किसे बुलाना ठीक नहीं होगा। संगीत की कमी खली। सरकारी अफसर को ज्यादा वक्त दिया गया जबकि वे कोई उपयोगी जानकारी नहीं दे रहे थे।

जबकि अच्छी जानकारी देने वालों को कम समय दिया गया। आयोजकों में नौकरशाही का खौफ साफ नजर आया। पलायन पर चर्चा होना रह गया। जेण्डर के सेशन में घरू हिंसा पर चर्चा रह गयी।

<u>सुझाव</u>–

सभी को प्रमाणपत्र देना चाहिये। सूचना के अधिकार और जेण्डर पर पूरा एक दिन का वर्कशाप होना चाहिये। सुस्मिता दस्तावेजीकरण और संचार की विशेषज्ञ हैं इसलिये वे प्रतिभागियों को कभी बतायें कि केस स्टडी कैसे तैयार की जाती है।

समापन

अन्त में राज्य के PACS प्रभारी संजीवकुमार ने सभी प्रतिभागियों को और अपने सहयोगियों को धन्यवाद देकर सम्मेलन का समापन किया।